कुपया यह मसला श्राप ग्रपनी पार्टी में रिखए कि वह ज्ञापका नाम चेयर पर दे। मुझे तो कोई फर्क नहीं पडता, ग्राप बोलें, या ग्रामे वाल बोलें या पीछे वाल बोलें या इधर से बोलें या उधर से बोलें। जो यहां बैठे हैं लीडर, उनम भी मैं कहुंगी कि ग्राप जुनियर मेम्बर्स के नाम भी दिया कीजिए । भ्राव चेयर पर क्यों ऋक्षिप लगाते हैं !

श्री संकर दयाल सिंह: नाम तो भ्रापके सामने हैं।

उपसभापति : नहीं, मेरे सामने नहीं है। चेयर पर ग्राक्षेप लगाना गलत है। श्राप श्रपने लोडरों से मैटर तथ की जिए। मंत्री जी।

CONSTITUTION (SIXTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, 1990—Contd.

श्री राम विलास पासवान : उपस्थापति महोदया, तमाम माननीय सदस्यों को, िन्होंने इस महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विध्यक को चर्चा म भाग लिया उनकी, उन माननीय सदस्यों को भी, जिन्होंने यहां बैंठकर सुनने का काम किया है और ऐसे माननीय सदस्यों को भी, जो कि बोलना चाहते थे या चर्चा में भाग लेताचाहते थे, किन्त् समयाभाव के कारण उनको समय नहीं मिल पाया, सबको धयवाद देना चाहता है । हालांकि यह विधेयक बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई वहत सारे क्लॉन नहीं हैं. सिफं इतना ही है कि श्रनुसुचित जाति और जनजाति को संबैधानेक दर्जा दिया जाए । जितने साथियों ने इसनें भाग लिया, सभी साथियों न एक बात जरूर कही कि इसका कड़ाई स पालन-भी होना चाहिए ग्रीर **क्षाधियों ने य**ह जरूर कहा कि शायद यह विधेयक पर्याप्त नहीं है, इसके जितने तीखे दांत होने चाहिए, उतने तीखे दात नहीं हैं और जो पुराना मेड्यूल्ड कारट, शेडयुल्ड ट्राईब्स कमीश्नर है, जो श्रारिकल 338 के तहत है, उसमें श्रीर इसमें कोई प्रंतर नहीं है। जब मेरे सभी भाननीय साथी कोल रहे थे तो मैं बहुत गीर

1990

से सून रहा था और में वह चाह रहा या कि इसमें जो खामी है, उसे माननीय सदस्य बताने का काम करेंगे तो निश्चित रूप में उस संशोधन या सुझाव की हम रखने का काम करेंगे। लेकिन कुरु साथियों ने सुझाव दिए हैं और बहुत साथियों का भाषण हम्रा है। ग्रह्मा है। समस्याएं हैं तो समस्याओं के संबंध में वक्तव्य भी अरुरी है लेकिन जो यह कान्सी पहलू है क्योंकि हम एक बॉडी बनाने जा रहे हैं और भ्रव इस संविधान संशोधन के माध्यम से हम अनुसूचित जाति, उनकाति श्रायोग को संबैधानिक दजा देने 🖫 रहे हैं। हमने नहीं कहा है कि हम इसको कमीशन ग्राफ इंक्वायरी का पावर देंगे. लेकिन हमने हर संभव कोशिश की है कि कान्म के सहस इसको अधिक से अधिकः शक्तिकाली बनाया जाए । हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि लो मुख्य बात है वह यह है कि प्राप्त कमीकन वना दिया लेकिन कमी सन बनाने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि इस कमीशन की रिपोर्ट मैंडेटरी होगी बीर उसको माना जाएग। तो मैं मानर्गाय सदस्यों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि कमीशन कमीशन होता है. कर्म। भन कोई मंत्रालय नहीं है। अब कमीशन को जितनी दूर तक हमको अधिकार देना चाहिए था, उसको हमने देने का काम किया है और इसके कर्लव्य को यदि ग्राप दखेंगे तो (5) में है कि ग्रायोग के निम्कलिखित कर्त्तत्र्य होंगे:---

- (क) अनुस्चित आतियों और अनु-सुचित जनजतियों के लिए संविधानया तत्समय प्रवत्त किसी भ्रन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अर्धान उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सब विषया का अन्वेषण और अन्ध्रवण करनातथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का *म*ल्यांकन करना।
- (ख) अनुस्चित जातियों और अनुस्चित अनजातियों को उनके ग्रधिकारों ग्रीर रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिद्धित शिकायतीं की जीच करना।"

फिर जो हमने जोड़ा है संशोधन करके उसमें हमने कहा है कि :---

[श्री राम विलास पासवान]

"(खख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास (संश्रीणयो इकनाँमिक डेवलपमेंट) की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और राज्य के अधीन जनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना।"

यह एक ऐसा अस्त्र है, उपसभापित महोदया, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत व्यापक है। फिर हमने कहा है कि :---

- "(ग) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो श्रायोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना ।
- (घ) ऐसे प्रतिबेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आधिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना।
- (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उम्तयन के संबंध में ऐसे अन्य इत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसो विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

उपसभापति महोदया, ब्रब ग्राप देखेंगे कि जो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें कोई प्रोग्राम, कोई ताकत नहीं दी गई है, मैं नहीं समझता हूं कि कानून के तहत इससे ज्यादा कोई ताकत दी जा सकती है। इसलिए जब माननीय सदस्य कह रहे थे तो मैं बार-बार उनसे पूछता था कि ग्राप बतलाएं कि ग्राप इस में क्या चाहते हैं? साप मुझाव दीजिए कि इसमें क्या जुड़वाना चाहते हैं? हन्मनतप्पा साहब ने कहा कि साहब नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इसकी धारा 6 ग्राप पढ़िए। धारा 6 में कहा है कि:—

"राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिकारिकों पर की गई या प्रस्थापित कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिकारियों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।"

एक कमीशन था। कमीशन को पहले कोई पायर नहीं थी। ग्रैड्यूल्ड कास्ट, ग्रैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर को कोई पायर नहीं थीं। किसी प्रफसर को बुलाता था, वह प्रफसर श्री भी सकती था, नहीं भी श्री सकता था। ऐसे मेंकड़ों उदाहरण हैं जहां कमीशन गया श्रीर अफसर नहीं धाया। कमीशन के पास कोई तांकत नहीं थी कि उसको बुला सके। श्रीज जो हम कमीशन को पायर दे रहे हैं उसके माध्यम से सम्पन करने का श्रीधकार उसको है।... (श्रावधान)

श्री संध प्रिय गौतमः यहां इस सदन में तो स-मन करने पर का नहीं रहे हैं, वहां वधा श्राएंगे । ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवात :
तो उसको सम्मन करने का श्रधिकार
है । सन्मन करने के बाद न सिर्फ उसको
श्रुक्तेषण करने का श्रधिकार है बिक उसको
एक्ज़ासिन करने का श्रधिकार है बिक उसको
एक्ज़ासिन करने का श्रधिकार है और
इन सारी चीजों के बाद वह राष्ट्रपति की जो
रिपोर्ट देगा, श्रापने कहा कि वह मेंडेटरी है
कि नहीं, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि
यदि कहीं से शिकायत ग्राए तो उसको यह
पावर दी गई है कि वह सिविल कोर्ट के
माध्यम से जीकर इन्कायरी करें।

श्री राम श्रयधेश सिह: मंती जी, ऐसे हल्के ढंग से बात मत कहिए। यह गंभीर वात है। जब स-मन करने पर हाउस में नहीं आए तो क्या आप श्रिकार देरहे हैं...(श्र्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं समझता हूं कि राम अवधेश जी लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं श्रीर राज्यसभा के भी सदस्य हैं। यह जो श्राप कह रहे है यह सारी की सारी बात है । में यह कह रहा हूं कि हम जो संविधान में सशोधन करने जा रहे हैं उसमें राष्ट्रपति को श्रीधकार है कि जो भी कानून बनाना श्रावस्थक हो, वह बनाया जा सकता है। वह सारी की

सारी बात इसमें ग्राएगी। इसलिए मैंने उस ऑप्सन को भी नहीं छोड़ा है। हनुमंतप्पा साहब ने उन लोगों का नियुक्तियों, रिवर्वेशन प्रादि से लेकर सोशियो-इकनोमिक डेवलपमेंट ग्रादि तमाम चोजों पर विस्तार से कहा है और मैं चाहता हूं कि इन सबकी पूरों करने के लिए हम सदन का ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से जल्दी इस विद्येयक को पास करें क्योंकि इस विध्येयक पर ग्राम सहमित है ग्रोर फिर दूसरा विधेयक भी हमारे सामने है जी उतना ही महर्रवपूर्ण है जिसमें भूमि सबंधो कानून को नोवें शैड्यूल्ड में जोड़ने का प्रोवधान है। तो में अर्थका ज्यादा सभय नहीं लेना चाहता हं...(ब्यवधान)

Constitution

(68th Amdt.)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : हरिजनों पर जो ब्रत्याचार हा रहे हैं उनके लिए क्राप †याकर रहे हैं ?

श्री राज विलास पासवानः पाड्य जी, मैं उस पर आरहा है। तो यह सारे जो श्रापने सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूं कि उन सारे सुझावों की उसमें पिरोने का काम हम करेंगे। रूल्स बनेंगे, बहुत शारी चीजें इसमें क्षा गई हैं क्रीर कुछ जा बचा हैं उनका भी हम उसमें सन्दिश करेंगे। जैसा कि अभी पाण्डेय जो और बहुत से दूसरे साथियों ने कहा कि इसमें कोई ऐसा छोद नहीं रहना चाहिए जिसके घड़े में पानी भर जाए। मैं तो कहता हूं कि भ्रभीतक छैद ही छेद था। मेंने उस छंद को बंद करने की कोशिश की है भोर उसके बावजूद भी यदि कहीं कोई छिट बचेगा तो उस छेंद को भी हम बंद करने का काम करेंगे।

श्रव जहां तक चेयरमैन का सर्वाल है, उसके संबंध में हमने कहा है कि चेयरमैन का स्तर कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा । बहुत से साथियों ने कहा कि यह किसी ब्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया है। तो यह जो संविधान संशोधन बिल है यह किसी व्यक्ति के लिए रहीं बल्कि उस**े पद पर जो भी होगा** उसे व्यापक ग्रिधिकार देने के लिए लाया गया है। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है । बाद इसके उपाध्यक्ष की हमने

स्टेंट भिनिस्टर का रैंक दिया है ग्रीर हमने यह भी कहा है कि एक बार अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होगा और एक बार अनुसुचित जनजाति का प्रध्यक्ष होगा । जब भ्रनुस्चित जातिका ऋध्यक्ष होगा तो अनुसूचित जनजाति का उपाध्यक्ष होगा ग्रीर ग्रमुंसूचित जनजाति का ग्रध्यका होगा तो अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष होगा ।

उपसभापति महोदया, हमारे साथियों ने श्रीर भी बहुत से सुझाव दिए हैं ग्रीर पाण्डेय जी ने हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में ध्यान क्राक्:पित कि:या है । हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि यह सरकार खाली भाषण देती है, भाषण के ग्रहाबा कोई काम नहीं करती है। तो में प्रापको बताना चाहुंगा कि हमको इस बात का गर्व है कि हमने अपने चुनाव घोषणापत्र के मुताबिक कानून बनाने, उनको इन्ष्जीमेंट बःरने का काम किया है। मैं यह भानता हूं कि सिर्फ कानून बना देने से किसी समस्या का निदान नहीं होता है और मैं इस बात को भी मनिता है कि जब तक हमारे सामाधिक दुष्टिकोण में बदलाव नही भ्राएगा, तब तक हम जो कानून बनाते हैं उनको लागू करने की दिशा में छाने नहीं बढ़ेंने। पाण्डेये जी ने और भी बहुत सी ऋच्छी बातें कहीं। स्र 👫 बड़ी बात यह है कि हमारी वर्ण व्यवास्था के तहत जो सफाई काम करता उसको सबसे छोटा समझा जागा श्रीर जो छोटा काम करता है उसकी बड़ा श्रादमी समझा जाता है। जब तक हम डिगनिटी ग्राफ लेबर नहीं देंगे तब तक सिर्फ कानून बना देने से ही समस्यः था हल नहीं होगा लेकिन . . . (स्ववधान)

एक माननीय सदस्य: भाषण में इस अधिनियम में कहीं समावेश नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: लेकिन उप्रसमापति महोदया, जोगी जो ग्रभी खड़े हुये थे, जोगी जी कह रहे थे, मैं जोगी जो को गिनाना चाहता हूं। मझको

श्री राम विलास पासवान]
अयं दुवे सिकं 6 महोते दुवे हैं स्रोरं
6 महोते में हुसात काम हमने किया है
स्रोर इसी सदन के माध्यम से करवाया
है। गिताना चाहते हैं मैं गिना देता
है। अनुश्चित जाति स्रोर जनजाति
सब लागों को सहमति से, लेकिन सरकार
मैं बिल लागा, अनुभूचित जाति, जनजाति
के आरक्षण को स्रवधि को 10 साल
बढ़ाया गया...(स्यवधान)

भी अजीत जोगी: मैं भी बात कर रहा हूं.... (ध्यवधान)

उपसमापति: बोलने दं(जिये प्रतिज्ञः श्री राम विलास पासवान: उप-सभावति महोदया, माननीय सदस्य को सरकार को क्रिटिसाईज करने का सब अधिकार है सरकार की तरफ से जो काम हमने किये हैं हमको रखने का अधिकार है कि या नहीं? तो में नेश्र.. (क्यबधान) हमने कहा सब लोगों के सहयोग से, मैं कहां कहता हूं कि मेने कर दिया। आज भी सब लोगों के सहयोग से हम करने जा रहे हैं। दूसरा, अनुभूचित जाति, जनजाति निवारण कान्न जो पालियामेंट से पास हो गया था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुन्ना था यह कह कर के नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा था कि राज्य सरकारें सहमत नही हैं, हम नोटिफिकेशन नहीं लाग कर सकते हैं, नहीं जारी कर सकते हैं। हम भाये, आने के बाद हमने लॉ मिनिस्टी से भो राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने कही कि सिर्फ राज्य की सरकारों से स्नापको परामर्श करना चाहिये लेकिन राज्य की सरकार नहीं भी स्वीकृति देती हैं तो श्राप स्पेशल कोर्ट के लिये निदश जारी कर सकते हैं ग्रीर श्राप नोटिफिकेशन जारो कर सकते हैं। 30 जनवरी को हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अगि देश के 80 पसट जिलों में वहां स्पेसल कोर्ट का श्राईडेंटिफिकेशन हो गया है, जजों की नियुक्ति की जा रही हैं अरोर हमने कहा है कि जून के ग्राखिर तक ऐसा कोई जिला नहीं रहना चाहिये ^{1 ज}स जिले में स्पेशल कोर्ट बन न जा**दे** ^{श्रीर} यह कोई एक पार्टी का नहीं सभी

पार्टी की सरकारें हैं अलग-अलग राज्यों में, सब जगह बनाई जा रही हैं।

तीसरी चीज, जोगी जी, 43 साल गुजर गये। 43 सील में श्रीपकी कभी याद नहीं श्रीया कि बाबा श्रम्बेडकर भी कोई श्रादमी हैं, उनको भी भारत रत्न की उपाधि से पुराभित किया जाये। उसमें श्रीपका क्या पैसा लग रहा था.... (अयवधान)

श्री श्रजीत जोगी: 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया है यह आप सुनता चाहें तो घंटों बोलते रहेंगे आप सुन नहीं पायेंगे...(श्यवधान) केवल परिधि को छूकर यह न सोचिये कि आपने समस्या का निराक्षरण कर लिया है... (श्यवधान)

उपसभापति: लैंट हिम स्पीका।

श्री राम विलास पासवान: कांग्रेस ने कहां यूनिवर्सिटी का सप्ना दिया वह आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। न जमीन का पता है, न पैसी का पता है...(अवधान)

श्री अजीत जोगी: मंत्री जी, श्रगर इस वाद-विवाद में पड़ेंगे तो बहुत समय लग जायेगा...(ध्यवधान)

श्री राम विलास पासवान देखिये, में सरकार की तरफ से जो 6 काम हुये हैं मैं गिना रहा हूं.. (व्यवधान) तो मैं यह कह रहा था.. (व्यवधान) जब सोचिये न यह एक घंटा तक क्या 6 घंटा तक बोले हैं तो 6 मिनट में जवाब तो स्नर्थे... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN; Let him speak. Don't interrupt.

SHRI AJIT P. K. JOGI: He mentioned my name. That is why I wanted to clarify.

उण्समापतिः चलिये बोलिये.. (ध्यवधान)

श्री राम । बलास पासवानः तो मैं यह कह रहा था कि भारत रस्न की उनाध से डा० अम्बद्धकर को भी विम्बित किया गया, 14 भ्रत्रेल को किया गया। कर दाजि कि नहीं किया गया। अप भा...(ध्ववधान) जार-बार नवीं इंटरस्ट कर रहे हैं, इसन क्या अञ्जिक्सनेबल हैं?

Constitution

(68th Amdt.)

SHRI JAGESH DESAI: When you talk of Dr. Ambedkar, I saw yesterday's Parliament News and there the statue of Dr. Ambedkar was not shown

THE DEPUTY CHAIRMAN; Let him finish. You could have spoken earlier.

थी राम विज्ञास पासवानः उपसमा-पति महादया, पैसा ह्यां खर्च करने की बात हाता है उस बात को छ इ दिया जाता है। उहां एक पैसा खर्च नहीं होता है, सम्बान देने का बास होती है डा० अम्बेडकर को, आप तक वह सम्मान भी नहीं दिया गया। इसी सेन्द्रेल हाल में डा० भ्रम्बेडकर की तस्वीर की.. (स्ववधार).. लगाया गया और उतारा गया। मैंने कहा था कि ये चार काम िये हैं। पांचवां काम नवबादी धारक्षम की स्विधा मिलं., श्रापके सहयं।ग से। श्राप पहले भा कर सकते थे, नहीं किया। मैंने कहा प्राप के सहयोग से किया। सर्वसम्मति है। ल (क सभा में भो पास हुआ और सर्वसम्मति से यहां भी उनको ह्यारक्षण की सुविधा मिली। यह पांचवां काम हुआ। छठा काम यह ग्रापके सहयोग से करने जा रहे हैं। यह छापको सहयोग करता है यह हमको मालूम है। जो दूसरे सदन में हुआ ...

डा० रानाकर पाण्डेय: संसद के परिसर में डा० ग्रम्बेडयर की प्रतिमा किसने स्थापित को थी ? (श्यवधान) इतना

लचर तर्क मत दोणिए जो स्टेंड न कर सकें इस महान सदन में। (व्यवधान)

Bill,

आं राम विलास पासवानः दूसरे सदन में पहले दिन जब यह..

श्री रस्नाकर पाण्डेय : ग्राम्बेडकर का नामं यत लाजिए। उनका महान सहयोग (व्यवधान)

उपसमापति : बार-बार डिसटबं मत काजिए। मैं । फर निवेदन करता है कि हाऊस चलने दाजिए। अब ग्राप लागी का समय या आपना जा बोलना या बोली और वह भारत। मजी से जवाब दे रहे हैं देने दाजिए।

थी राम विलास पासवान: मैं वही कह रहा हूं जा हमने किया है। इसमें मर्जी का बात नहीं है। हमने नवशीढ़ों को अंदिक्षण की सुविधा दी यह हमने पोचक काम किया। ७ठा काम ज. करने जा रहे है वह आपके सामन सीवधान संशाधन विधेरके है। इसमें अनुसूक्ति जाति, उनेजाति अयोग को सर्वधानिक दर्जा दने हैं। बात है। सातवां काम र्न र मनले के बार में है। उसको इंत किंबबात हा 9वीं सुवा में लाने ा (हे हैं। (ध्ववधान)

प्रो० चढेश यी॰ ठाहर: इसकी चर्चा यह कैसे कर रह हैं जब यह अभी तक भ्राया ही नहें। **(स्यव**धान)

क्षो राम विलास पासवानः 6 महीने मैं इन सात कामों को हमने किया हें श्री (उसक बाद ..(व्यवधान) यह अनुसूचित जाति, अनजाति क्रायंग को संविधानिक दर्जा की बात है। 1978 में जब में लोक सभा का मैम्बर था, जीत कर धाया था, मुझे याद है तब संबैधानिक अधिकार देने की बात[े] श्रार्थ। र्षा लेकिन उसके बाद वह सरकार खत्म हो गयी। तब से लेकर अब तक 12 साल के दौरीन भ्रापने पूरे हथियार से लैंस हो कर संविधान संशोधन विधेयक क्र में अनुसूचित ाति, जनजाति स्रायोग बनाने

श्री राम विलास पासवानी

का काम अपने क्यों नहीं किया? किसने भ्रापको रोका था? ग्राज कह रहे कि तोप नहीं है, तरकश नहीं है, आपको किसने रोका या? 12 साल तक ग्रापने जाने का काम नहीं किया। (व्यवधान) हमने लाने का काम किया। श्राज भी हमारा दिमाग बिल्कुल साफ़ है इस मामले में। अपने सभी साथियों से हमने कहा था, श्रनुस्चित जाति, जन जाति के ग्र9ने सभी पाटियों के संसद सदस्यों से कहा था जो भी ग्रापको सुजेशन देने हो, दे दीजिए। इसके माध्यम से हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं होगा तो हम बाबा साहेब ग्रम्बेडकर की जन्मशताब्दी मना रहे हैं, सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में यह वर्ष मना रहे हैं। इसमें हमने यह निणय लिया है कि एक साल के अंदर, जैसा हनुमनतत्या जी ने कहा, जोगी जी ने कहा कि क्लास-वन की श्रेणी में 6 परसेंट सक रिज़र्वेशन हो पायी है; हम सारे के सारे ग्रारक्षण भर पायेंगे। हम मानते हैं इस बात को इन तीन महीनों में नहीं भरा गया ...

भी प्रश्रीत जोंगी : ग्राप भर दें।

श्री राम विलास पासवानः भरेंगे। हमने कहा है कि एक साल के म्रंडर भरेंगे। भारत के प्रधान मंत्री की म्रव्यक्ष**ा में यह जो डा० प्र**म्बेडकर के सम्बंध में कमेटी की स्थापना की गयी है जिसमें सभी पार्टी के माननीय सदस्य रखे गये हैं, उसने यह तय किया है कि एक साल के ग्रंदर योजनाबद्ध तरीके से 14 अपने, 1991 तक किसी भी श्राणी में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। जिस पोस्ट के लिए भी बैकलॉंग है वे सारी की सारी पोस्टें भरी जायेंगी। सारी की सारो पोस्टस भरेंगे ग्रीर उसके लिए श्रावश्यकता पड़ी तो श्रगले पालियामेंट के सेशन, में रिजवेशन के लिए लेजिस्लेशन भो लाने जा रहे हैं। यदि कोई अधिकारी उनको पूरा नहीं करेगा तो उसके लिए दण्ड का विधान रखा जाएगा। हम यह करना चाहते हैं । हमारी नीतिसाफ है इस मामले में हम किसी से समझीता करने नहीं जा रहे हैं ...(व्यवधान)

हम जानते हैं आप डा. अम्बेडकर के नजदीक रहे हैं। डा० अम्बेडकर को कांग्रेस ने चेयरमँन भी बनाया। लेकिन डा० अम्बेडकर जी ने कांग्रस छोड़ते बक्त क्या कहा था उसको भी पढ़ लीजिये। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वह जलती हुई भट्टी है जिसमें जो जाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए डा० अम्बेडकर को कोट मत करिये। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, उस विवाद में मत जाइये। मैं नहीं कह रहा हूं, डा. अम्बेडकर जी को कोट कर रहा हूं

कुमारी सरोज खापडें (महाराष्ट्र): यह कांग्रेस को बदनाम करने का तरीका नहीं है। आप डा. अम्बेडकर जी के श्रादशों को जरूर बताइये।

श्री राम विलास पासवान: उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, इसलिए कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने फैसला लिया है कि जहां कहीं भी श्रत्याचार का मामला होगा, जहां कहीं भी सामाजिक, ग्राधिक अन्याय का मामला होगा तो हम यवस्य दूर करेंगे। प्रादिवासियों का मामला हो तो हमने कहा है कि जंगलात का मामला हागा तो जो भी कानून बनेगा उसमें अनुसूचित जातियों श्रीर जन जातियों के लोग भी उसमें सहभागी होंगे ...(श्यवधान)

कुमारी सरोज खापडें: आप वार-बार अपने शासन का उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि अगर देश में डा. अम्बेडकर नहीं होते और कांग्रेस नहीं होती तो आप और हमारा उद्धार नहीं होता, हम यहां पर बैठे नहीं होते। आप भूलिये मत्। आप अपने शासन की तारीफ कर रहे हैं। आप 40— 42 वर्ष के कांग्रेस के काम को आंखों से श्रीझल नहीं कर सकते हैं। खबरदार, बाबा साहब का नाम लेते हुए इन् बातों को मत भ्लिये ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवाम: मैं इस बात को मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हुए होते तो दलियों को ये श्रधिकार नहीं मिलते ...(आवद्यान)

Constitution

(68f/i Amdt.)

कुमारी सरोज खापडे : श्राप जवाहरलाल नेहरू श्रीर श्रीमती इंदिरा गांधी के काम को कैसे भूल सकते हैं?

श्री राम जिलास पासवान: डा० धम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है (ध्यवधान)।

कुमारी सरोज खापडे : मैं नागपुर की उस घरती से ब्राती हूं जहां पर बाबा साहब ने धर्मान्तरण किया था। मैं उनको जानती हूं ...(व्यवधान)।

श्री राम जिलास पासवासः में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी पंडित जशहरलाल नेहरू होते तो अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सदाल पर कभी भी वाक आउट नहीं करते, यह कांग्रेस की पुरानी कल्चर रही है। मैं डिटेल में न जाते हुए अपने तमाम साथियों को अन्यवाद देता है। मैं तमाम साथियों को ...(व्यवधान)...

SHSI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, I object to what he said just now about the walk-out. (Interruptions)

SHRI RAM VILAS FASWAN: 'Jawaharlal Nehru' is not unparliamentary.

डा० रनाक पाण्डे : अगर हम समर्थन नहीं करते तो ग्राप पास नहीं कर सकते थे। श्रगर हम समयन न द तो ग्राप्का बिल गिर जायेगा ... (ब्यवधान)...ग्राप नहीं चाहते हैं विल पास कराना?...(व्यवधान)...

श्री राम जिलास पासवात : मैंने जब मूत्र किया था, सोलंकी साहब हमारे मित्र रहे हैं, उनको माल्म है कि मैंने जब बिल मूव किया तो ..(ध्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. (Interruptions) I said 'I am not allowing'. Let the Minister complete his speech.

Bill,

1990

द्याप अपना भाषण खत्म की जिये।

राम बिदास सासवानः नै राउंड अप कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हं ...(व्यवधान)...

मैं खरम करने जा रहा है। तो महोदया, शुरू में मैंने सिर्फ़ तीन मिनट का समय लिया था। मैं ग्रभी भी ज्यादा समय न लेते हुए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि ... (व्यवधान) ...

डा० इः बरार अहसद खान (राजस्थान) ...ये इस मुद्दे ५र जनता के सामने गये र्घे कि बोफ़ोर्स का जो मसला है उसकी जांच करायेंगे और तथ्य जनता के सामने लायेंगे। इस मसले पर यह सरकार जीती है। इतना समय हो गथा है लेकिन श्रभी तक इस गवर्नमेंट ने सारे डाकुमेंटस सभापटल पर नहीं रखे हैं। इस बात को लेकर बाइकाट भी किया गया है (व्यवधान) . . .

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra); I would like to point out to the hon. Minister that the walk-out was ^{not} on this. It was on Bofors.

उपसभापति: मंत्री जी आप खत्म करिये, मुझे बोटिंग करानी है।

श्री राम बिलास पासवान: मैं ब्राधे मिनट के समय में खत्म कर रहा हुं। मैं धन्यदाद देता हूं ... (व्यवधान) ग्राप बॅंडिये, ग्राप ऐसा क्यों कर रहे है?

मैं सभी पक्षों के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि अर्थने शुरू से ही इसका समर्थन किया है। इसके लिये सभी ५क्ष के साधियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे कहने से अगर किसी को चोट लगी हो तो मैं आपसेक्षमःप्रार्थी है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं ध्रपने सब साथियों को धन्यवाद देता हैं। भापने [श्री रामविलास पासवान] बहुत अच्छे ढंग से समर्थन किया और इस में भाग लिया। धन्यवाद।

श्री शंकर क्याल सिंह : केवल एक बात यहां छूट गई। पुरे प्रकरण में कहीं भी महात्मा गांधी का नाम नहीं श्राया जब कि श्रनुस्चित जाात और श्रनुस्चित जनजातियों के लिये गांधी जी की प्रेरणा राष्ट्र के लिये सर्वोगिर मानी गई है। इसलिये जब शी मंत्रा जा भाषण दें तो उन्हें यह जहना चाहिये कि गांधा जा की प्रेरणा से श्रव इस दिशा में श्रासर हो रहे हैं।....(श्यव्धान)

श्री राम श्रवधेश सिंह: मुझे मंती जी से एक स्पष्टाकरण चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इसका वायदा किया ृथा कि मैं अपका जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने अपन भाषण में उसका काई रेफरेंस नहीं दिया, उसका काई, जवाब नहीं दिया। यह एक संद्धानिक स्वाल है, जिसे मैं पूछना सहिता हूं।

वया भंजी जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो कमीशन है तो यह लागू होगा स्टेट में और यूनियन स्विसेंग में भा, तो मैं जानना चाहता है कि श्राटिकल 338 के सब-क्लांग 3 के तहत जो श्रदर्स बनाई क्लासिंग का रेफरेंस श्राटोमेटांकली कांस्टिटयूशन में है, जो मैंने पढ़कर भुनाया था, उसके तहत मान लाजिये....

उपसभापति : वह जवाब दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, श्राटिकल 338सा पिछड़े वर्गों के लिए हैं कि पिछड़े वर्गों को भा, पदि उसकी तरफ से कमीशन बने तो उसमें जोड़ना चाहिए । लेकिन जब सेंटर में अभी तक पिछड़ वर्ग की लिस्ट ही नहीं है तो श्राएंगे कहां से, जब लिस्ट बन भएगों तो जुड़ जाएंगे... (अवस्थान)

श्री **राम सबधेस सिह**ः स्टेटस में सूची है, आरे राज्यों में सूची बना हुई है.... (व्यवसान) THE DEPUTY CHAIRMAN; I will first put the Amendment of Shri Ahluwalia...

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat); The Minister gave wrong interpretation. Subclause 3 provides for other ^backward classes to be treated on Scheduled Castes/Scheduled Tribes basis, and other backward classes are already recognised under the Constitution in various States. This Commission is not to operate only for Central purposes. It is for the States also. Will the Minister please state whether the States' other back-wara classes, their welfare, etc, will also be looked into by this Commission or not?

श्री राम विलास पासवान अभी नहीं। श्रभी इसमें नहीं है। मंडल कमं धन की जहां तक सिफारिश को मामला है सरकार श्रान रिकार्ड है कि हम मंडल कमं धन की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं श्रीर बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह: देश के सारे राज्यों में जो नेल्फेयर के बारे में प्रावि-जन है उसके बारे में धापका क्या कहना है। उसकी क्यो नहीं धाप स्थिट में शामिल करते हैं?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति
महोदया, श्रापका मालूम है कि 388 के
तहत जा स्पेशल क्षिण्नर की पोस्ट है,
स्पेशल श्राफिसर की पोस्ट है उसके बदले
में कमीशन जोड़ा जा रहा है श्रीर उसके
श्रतगत एस.सं., एस. टा. के जो मामले
थे उनको इनको सौंपा जा रहा है। अब
माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, हम
तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं पढ़ते हैं...
(श्रवधान)

श्री राम नरेश थादव (उत्तर प्रदेश) : मानर्नाया, मंत्री जी ने श्रभी यह उत्तर देया कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट की लागू करेंगे । लेकिन अभी दिल्ला में उपप्रधान मंत्री जी ने कहा कि जब तब नाट जाति बैकवर्ड क्लास की सूर्ची में नहीं होड़ी जाएगी तब तक हम उस पर श्रपनी

सहमति नहीं देंगे । एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट की लागु करेंगे, माननीय वेरफेयर मिनिस्टर भी . . (अनबधान) कहता है कि _{ते} लागू करेंगे लेकिन इस देश काई डिप्टी शाइमे मिनिस्टर जब यह कहता हो कि जब तक जाट क-यनिर्दा बैकवर्ड क्लास की सुकी में नहीं रखीं आएगी तब तक हम समर्थन नहीं देंगे तो मैं अपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? उपप्रधान मंत्री जो कुछ बात कहते हैं, प्रधान मंत्री जी कुछ बात कहते हैं, कल्याण मंत्री जी कुछ बात कहते हैं। इसमें क्या द्ष्टिकोण हैं? ऐसा लगता है कि सरकार की दृष्टि इस मामले में साफ नहीं है इसलिए इस तरह का विरोधाभास श्राता है.... (व्यवधान)

श्री राम विसास पासवान : उपसभापति महोदया, न तो प्रधान मंत्री जी अलग बोलते हैं....(व्यवधान)

श्री राम प्रवधेश सिंह : मैं पूछना चाहता हंकि 6 महीने बीत गये क्या कारण है कि मेंडल आयोग नहीं लागू हो रहा है, कौन सा कठिनाई है, सदन को बताएं

भी राम विलास पासवान : महोदया, जो राम नमेश यादव जी ने कहा है में उस संबंध में कहना चाहुंगा कि न तो प्रधान मंत्री भ्रलग कह रहे हैं, न तो उप प्रधान मंत्री अलग बोल रहे हैं और न कल्याण मंत्री भ्रलग बोल रहे हैं। परसों प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्रः और कल्याण मंत्री सबने कहा कि मंडल आयोग की सिफा-रिशें लागु होगी और उप प्रधान संबी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री एक नरेश यादव : इसके बारे में मानतीय मंत्री जी ने नहीं बताया कि उप प्रधान गर्ला जी के जो विचार हैं वे विचार क्या सरकार के ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I will first put the amendment of Shri S, S. Ahluwalia for reference of the

Constitution (Sixty-Eighth Amendment) Bill, 1990, to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The questions is:

•That the Bill further to amend the Constitution of India, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members-.

- 1. Shri Ram Awadhesh Singh
- 2. Shri Subramanian Swamy
- 3. Shri Anant Ram, Jaiswal
- 4. Maulana Obaidullah Khan
- 5. Chowdhary Ram Sewak
- 6. Shri Sikander Bakht
- 7. Shri G. Swaminathan
- 8. Shri V. Gopalsamy
- 9. Shri Chaturanan Mishra
- 10. Shri Dipen Ghosh
- 11. Shri Shankar Dayal Singh
- 12. Shri Ram Jethmalani
- 13. Sardar Jagjit Singh Aurora
- 14. Shri rishan Kumar Deepak

15. Shri S. S. Ahluwalia

with instructions to report by the first day of the next Session of the Rajya Sabha."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Those in favour may please say 'aye'. Those against may please say 'no'. (Interruptions).

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, ayes have it. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will put the motion once again. (Interruptions)

SHRI S. S. AHLUWALIA; No, Madam, ayes have it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There Will be a division.

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, Madam.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, Ayes have it.

THE DEPUTY CHAIRMAN; amendment is negatived. If you want division, you can have it.

SHRI S. S. AHLUWALIA; But, they said "Ayes". So Ayes have it.

उपसभापति : राम अवधेश जी, ग्राप श्रीर बःन्भयुक मस कंरिए, बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री राम ग्रवधेश सिंहः राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दो बार (अध्यक्षधान) लेकिन अभी तक मंडल आयोग की क्लफो-रिणें लागू नहीं हुई हैं।.... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAS: I shall now put the amendment of Shri Please sit down.

SHRI DIPEN GHOSH (West Ben gal): But, this is Constitution a Amendment Bill-----

THE DEPUTY CHAIRMAN; Why is he disturbing? I would request you to please sit down. Otherwise I will have to ask you to leave the House.

श्री राम प्रवधेश सिंह : ग्राप मंत्रीजी से जबाब दिलवा दीजिए।

उपसभापति: अगर मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई अधिबार नहीं है वि: उनसे अवाब दिलवा सक्रुं। म्राप मेठ जाइये !

SHRI KHYOMO LOTHA (Naga land); Madam,-----

श्री राम प्रवधेश सिंह : यह बात ता स्पब्ट है....(ब्यवधान) लागू नहीं होगा। सरकार धोखे में क्यों रखते। है ?

उपसमायति : राम अवधेश जी, जो मंत्री जी ने कह दिया, उसके अलावा मेरे पास उनसे कहलबाने का कोई स्रीजार नहीं है। मुझे कार्यवाही को स्रागे चलाने दीजिए।

SHRI KHYOMO LOTHA: Madam, I want to raise a point. I had sought. ... (Interruptions)

Bill, 1990

THE DEPUTY CHAIRMAN; Mr. Ram Awadhesh Singh, if you don't listen, I am going to ask you to please leave the House.

श्री राम श्रवधेश सिंह : यह सरकार निकम्मी है। यह झुठे बादे करती है। यह जवाब नहीं देती है मैं वाक भ्राऊट करता है।

(At this stage the hon. Member left the Chamber)

SHRI KHYOMO LOTHA; Madam, I hardly speak. And when I speak, I give only short speeches.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can speak on the Third Reading. You cannot speak now. There is a certain procedure. I cannot permit him at the wrong place. I will allow you at the Third Reading stage. Please sit down. I cannot permit you at the wrong place. Please sit down... I cannot permit you. It is against the rules. I will allow you at the Third Reading Stage.

SHRI KHYOMO LOTHA: In that case, I am walking out.

(At this stage the hon. Member left the Chamber)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: He has a certain complaint. This is not in connection with this.

THE DEPUTY CHAIRMAN; He said that he wanted to make a speech. He did not say that he wanted to raise a point of order. You call him back. Let him make his point of order. As everybody heard, he said that he wanted to make a short speech. And I said, I will allow him at the Third Reading stage. If he wants to raise a point of order, let him raise it. You call him back.

SHRI KHYOMO LOTHA: My only point of order is

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, et me hear him. I have the right to near.

SHRI KHYOMO LOTHA; My only submission is this, When I sought time to speak on this Sixty-eighth Amendment Bill, as a tribal I wanted to give a few points of suggestion. But I was told that there was no time and my name was not .given. Now I find that it is 6 o'clock and so many irrelevant things have been spoken. Even the Minister himself raised so many irrelevant things. What is this? This is very unfortunate. I have been watching the proceedings in the Lok Sabha since yesterday... (Interruptions).

Constitution (68th Amdt)

6.00 p.m.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the Member wants to speak on it, there is still time. ... (Interruptions > . ,.. Just a minute. Listen to me. If your party did not give you time, still, at the third reading I will permit you to speak.

SHRI KHYOMO LOTHA; It was from the Chair

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not from the Chair. It is the party. I will ask the Whip to get up the explain to him. Perhaps, he doesn't know. But I will permit you to speak at the third reading. Please sit down.

SHRI KHYOMO LOTHA; Irrelevant things have been raised, provoking the Members unnecessarily, but I could not be given even three minutes to speak.. . . $(Interruptions) \blacksquare \blacksquare.$

THE DEPUTY CHAIRMAN; Honourable Members, please. He is from a backward class. I can understand a Member wanting.. . (Interruptions) Which class is he?... (Interruptions) Tribal? I don't know what class he is . . (Interruptions) ..

SHRI G. G. SWELL; I know... (Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. .. . (Interruptions) ... I know Members by the name.. . (Interruptions) ... Sit down. Don't get angry, please. Sit down. ... (Interruptions) ...

SHRI G. G. SWELL; I don't come from a backward class.

Bill.

1990

THE DEPUTY ■ CHAIRMAN: You are not. You are most forward than everybody else. All right.

SHRI G. G. SWELL; I am not a backward class Member. I am the most forward Member

THE DEPUTY CHAIRMAN: Every Member of the House is very forward. If any body wants to speak

SHRI G. G. SWELL; I challenge anybody. Don't use this word.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What are you challenging?

SHRI G. G- SWELL; Don't use this word. I am more forward than you are, I know much more than you do. ... (Interruptions)..

THE DEPUTY CHAIRMAN-. Cool down. . .. (Interruptions) ... It was not your matter.' The Member wanted to speak. If his party did- not give him time... (Interruptions) ... Please, keep quiet. To me everybody is forward. To me there is no SC, ST, to me it doesn't matter. To me all Members are respectable, and if any Member wanted' to speak and if his party did not give him time. I will give him time to speak at the third reading-I promise. . . . (Interruptions'). .. Please sit down.

SHRI G. G. SWELL; But don't use the word "backward."

THE DEPUTY CHAIRMAN Ahluwalia, do you want to withdraw or do you want to make your speech.

SHRI S. S. AHLUWALIA; I want to srjeak, Madam.

उन्सन्नापि : एकदम संक्षेत्र में बोलिए ।

श्री सुरेद्रजीत सिंह ग्रहसुवालिया : महोदया. मैं समय की कर्ना के कारण वोला नहीं क्योंकि मंदी जी की ज्यादा शोलनाथा।

[श्री नुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया]

मर्शदया, यह ६३वां संविधान संव धन लाने के पहले सारे हिंदुस्तान में हैं। माडील बनाया गया कि जैसे यह 68 संगोबन विधेयक लाकर शायद ये इ मुरुक को गोडयुल्ड कास्ट और शेडयुर ट्राइब कम्युनिटी की महलों में बिठाने उ रहे हैं। निय तरह से राग विश्वना प्रताप सिंह ने भ्राने घड़ियाली धांस् वहा श्रीर जैसे कहा कि यह कांग्रेस पार्टी इ विश्रेयक को पास नहीं करने देना चाहत भोर अठे-पुठे अईंगे लगा रही है। मह दया, भैं ग्रांपके माध्यस से इस सदन है हर सदस्य से पुठना चाहता है कि क्य श्चारिक व्यवस्था श्रापने इस विधेयक है माध्यम से शेड्यूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइर को दो है ? ग्रापने विध्यक पढ़ा है क्या अधिक व्यवस्था ग्राप दे रहे हैं ! क्या गरीब अनुभूचित ाति के लोगों कं ग्राप क्षोंप्रक्षियों से उठाकर, खपरेल ने महान के उठाकर एग्नर कंडीशंड कमरों है विञाने जा रहे हैं ? शायद नहीं । महो दया, र'म विलास पामवान जी अनुस्चित जानि से आते हैं... (व्यवधान) आप जब बोल रहे ये तो मैंने वाधा नही पर्हचाई, ृपया सूनने की कोशिश करे श्रीर हिन्मन रखें। रामविलास पासवान जो जोकि संत्री हैं, उनकी श्राटत है कि वे जगर-नगर भाषा देकर कायदे कर आते हैं। कई नगड़ इन्होंने मेरे साथ खड़े होकर वायदे किए हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करने । जुरू दिन पहले ये विकलांगों मोर मंधों को मोटिंग में कह रहे थे कि इसी सत्र के अंदर उनके रिजर्वेशन के लिए एक विशेषक लाएंगे श्रीर उसे पास कराएंगे । थे मंत्री महोदय से पूर्णगा कि वह विश्वेयक कहां है ? वह कहां ला रहे हैं भ्राप ? इन अंधीं, लुलीं, लंगड़ीं के साथ आपने मेसा मज्यक क्यों किया ?

महोदया, यह विधेयक साने से पहले ...(व्यवधान)

उपसभापति : ग्रापका जो ग्रमेण्डमेंट है. वह सेनेक्ट कमेटी के बारे में है । रुपया सेलेक्ट कमेटो में आप क्यों भेजना चाहते हैं, उस पर बातकीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह श्रहतुबालिया: मडम, सेलेक्ट कसटो का तो श्रापने वायस बोट में श्रापज करा लिया है। मैंरा पूरा श्रमेंडमेंट है।

THE DEPUTY CHAIRMAN; We will discuss it later.

श्री पुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहतुगितया : आप सेलेक्ट कर्मटी को तो श्रीलग्डी पास करा चुकी है।

उपसभापति : चिल्ए, वह पास हो गया है तो ग्राप बैठ जाइए ।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह श्रहलुवालिया : में तो फर्स्ट एमण्डमेंट पर जोल रहा हूं, करिर्टेट्यूशन अमेंडमेंट पर ।

THE DEPUTY CHAIRMAIN; No. no. I will first put the amendment of Shri S. S. Ahluwalia for reference of the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill, 1990 to the Select Committee of Rajya Sabha to vote.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह श्रहलुवालिशा : वह तो श्रापने पास कर दिया ।

THE DEPUTY CHAIRMAN; There was a confusion in the House. That is why I am going through it, please. There was a confusion created. That is why people did not hear it. This is Constitution Amendment, We have-to record clase by clause. That is why we are doing it for the benefit of all the Members.

श्राप अगर इस पर बोल रहे हैं तो बोलिए और अगर विदड़ा कर रहे हैं तो विदड़ा की रिए।

भी सुरेन्द्रजीत सिंह अहस्तुवासिया । मेडम, श्राप ऐसा कह रही हैं तो यह सैलेक्ट कमंटी को रेफर करने की जो बात मैंने कही है. उसके बाद मेरा एक पूरा श्रमण्डमेंट है :

उपसमापति : उस पर अभी रहने दंशीए !

Constitution

(68th Amdt)

श्री सुरेग्द्रजीत सिंह शहसूबास्वियाः ब्राप उस पर बोलने की अनुमति देंगी।

उपतन्नापित: हां, दंगी। भगर क्या The amendment was negatived. माप इसे जिस-ड्रा कर रहे हैं ?

भी भुरे द्रजीत सिंह बहसुकालियाः नहीं । मैं इसे सेलेक्ट अमर्टः को क्यों रेफर करना चाहताथा, उसके पीर्छ एक कारण है और वह कारण यह है कि इस सरकार ने मंडल कर्माधन के बारे में अने मेनिफेस्टो में कहा है और सिर्फ इसी पार्टी ने नहीं बस्कि **इस पार्टी से जुड़ी** हई निता भी पार्टी हैं, उन्होंने कहा है --मंडल कमोशन की रिपोर्ट को इंपलीमेंट करेंगे । महोदया, इन्होंने झाले ही एक कनट। भी बनाई और उस कमेंटी के अध्यक्त इस देश के उप-प्रधानमंत्री देवी लाल जी बताए गए । देवी लाल जी ने दस दिन के प्रदर हो इस्तीफा दे दिया। वहकामेंटी चती नहीं । हर बार यह कहते हैं, ग्रमी भा, मद्रास में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मंडल कामीक्षत की रिपोर्ट हम एक हपते में लागू करवादेंगे। अवयह कह रहे हैं वि अभी तक बेकवर्ड कम्युनिटी की आइडेंट।फाई नहीं ेंकया है । इससिए मैं इसे सलेक्ट कमरी को रेफर कर रहा था ेक मंडल कयां शन और माइनोरिटी ज दोनों इस माननीय सहन में आग् । मैं चाहता हूं ेक जायंटली यह नेशनल कर्माशन आफ गैर्यस्ड कान्ट्स. शेंडयुन्ड ट्राइटज, बे कनर्ट voting. The question is; कम्यनिटं! और माइनोरिटीज का हो और उस प्रेंग्नेला के प्रदर, जिनका हम हर जगह जागु। इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी में Sabha, be taken into consideration." ले ज्ञाया जाए ग्रीर जो मैंने सुबह सेलेक्ट क मेटी के पंन्त्ररों के नाम लिए थे, उनकी जसमें एका जाए लाकि उस सेलेक्ट कमेटी में इस पर पुरा विकास किया जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN; I shall first put the amendment of Shri S. S. Ahluwalia for reference of the Constitution (Sixty eighth Amendment) Bill, 1990 to a Select Committee, to vote.

THE DEPUTY CHAIRMAN; I shall now put the amendment of Shri V. Narayanasamy for reference of the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill, 1990 to a Select Commit. tee of the Rajya Sabha to vote. Are you withdrawing it?

SHRI V. NARAYANASAMY: Since I have other amendments, I may be permitted to speak on those amendments. I withdraw this amendment.

The amendment was, by leave, with drawn.

SHRI V. NARAYANASAMY- First of all respect the Member. (Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN; Order.

I would not like you to disturb. again the Chair, please.

I shall now put the Constitution (Sixtyeighth Amendment) Bill, 1990 to vote.

Under Article 368 of the Constitution, the पर विवार करके श्रापका वह विधेयक Amendment will have to be adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thir8s of the Members of the House present and

"That the Bill further to amend the प्रिंटिकल नेनिफिट लेते हैं, सबके लाया Constitution of India, as passed by the Lok

> The House divided. THE DEPUTY CHAIRMAN; Ayes.. 192 Noes.. nil

Bill, 192 1990

Ayes-192

Afzal, Shri Mohammad

Agarwal, Shri Lakkhiram

Agarwal, Shri Ramdas

Ahluwalia, Shri S. S.

Alia, Kumari

Alva, Shrimati Margaret

Amin, Shri Mohammed

Amla, Shri Tirath Ram

Amrita Pritam, Shrimati

Ansari, Shri Mohammed Amin

Ashwani Kumar, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi

Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Baby, Shri M. A.

Bagrodia, Shri Santosh

Bakht, Shri Sikande r

Balanandan, Shri E.

Balaram Shri N. E. Barongpa, Shri Sushil

Basumatary, Shri Amritlal

Basu Ray, Shri Sunil

Bekal Utsahi, Shri

Beniwal, Shrimati Vidya

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant

Bhardwaj, Shri Hansraj

Bhatia, Shri Madan

Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanki

Bhattacharjee, Prof. Sourendra

Biswas, Shri Debabrata

Buragohain, Shri Bhadreswar

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chanpuria, Shri Shivprasad

Chaudhary Harmohan Singh

Chaudhuri, Shri Tridib

Chavan, Shri S. B.

Chowdhary Ram Sewak

Chowdhry Hari Singh

Chowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira

Dave, Shri Anantray Devshanker

Deepak, Shri Krishan Kumar

Desai, Shri Jagesh

Dhawan, Shri R K.

Faguni Ram, Dr.

Fernandes, Shri John

F. Fotedar, Shri Makhan Lal

Gaj Singh, Shri

Gandhi, Shri Raj Mohan

Ganesan, Shri R. alias Misa P.

Ganesan Gautam, Shri Sangh Priya

Ghosh, Shri Dipen

Gopalsamy, Shri V.

Goswami, Shri Dinesh

Goswami, Shri Ramnarayan

Gurupadasamy, Shri M. S.

Hanspal, Shri Harvendra Singh.

Hanumanthappa, Shri H.

Hariprasad, Shri B. K.

Hashmi, Shri Shamim

Jacob, Shri M, M.

Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao

Jagmohan, Shri

Jain, Dr. Jinendra Kumar

Jaiswal, Shri Anant Ram

Jani, Shri Jagadish

Javali, Shri J. P.

Jogi, Shri Ajit P.' K.

Kailashpati, Shrimati

Kakodkar, Shri Purushottam

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kalmadi, Shri Suresh

Kalvala, Shri Prabhakar Rao

Kar, Shri Narayan

Kenia, Kumari Chandrika Premji

Kesri, Shri Sitaram

Khan, Dr. Abrar Ahmed

Khaparde, Miss Saroj

Kiruttinan Shri Pasumpon Tha,

Bill, 194 1990

Kore, Shri Prabhakar a. Kotaiah Pragada, Shri Krishnan, Shri G. Y. Kunjachen, Shri P. K,

Lather, Shri Mohinder Singh Ledger, Shri David Lenka, Shri Kahnu Charan Lotha, Shri Khyomo

Madhavan, Shri S.

Madni, Shri Maulana Asad Mahajan, Shri Pramod Mahendra Prasad, Shri Maheshwari. Shrimati Sarala Maheswarappa. Shri K. G. Malaviya, Shri Radhakishan Malaviya, Shri Satya Prakash Maran, Shri Murasoli Masodkar, Shri Bhaskar Annaji Mathur, Shri Jagdish Prasad Md. Salim, Shri Mehta, Shri Chimanbhai Menon, Prof. M. G. K. Mishra, Shri Shiv Pratap Mohammad Yunus, Shri

Naik, Shri G. Swamy Naik, Shri R. S. Nallasivan. Shri A Narayahasamy. Shri V.

Mohanty, Shri Sarada

Morarka, Shri Kamal

Mbhapatra. Shri Basudeb

Mukherjee. Shri Samar

Pachouri, Shri Suresh
Padmanabham, Shri Mentay
Palaniyandi. Shri M.
Pande, Shri Bishambhar Nath
Pandey, Shrimati Manorama
Pandey, Dr. Ratnakar
Panwar, Shri B. L.
Parmar, Shri Rajubhai A.

Paswan, Shri Kameshwar Patel, Shri Chhotubhai Patel, Shri Vithalbhai M. Patil, Shrimati Suryakahta Patil, Shri Vishwasrao Ramrao Puglia, Shri Naresh C.

Rafique Alam, Shri Rahman, Shri Mohd. Khaleelur Rai, Shri Ratna Bahadur Raja Ramanna, Dr. Raju, Shri J. S. Ramachandran, Shri S. K. T.

Rao, Shri Moturu Hanumantha Ratan Kumari, Shrimati

Rathwa, Shri Ramsinh Reddy, Dr. G. Vijaya iMohan

Reddy, Dr. Narreddy Thulasi Reddy, Shri S. Jaipal

Reddy, Shri T. Chandrasekhar

Sahay, Shri Dayanand Sahu, Shri Rajni Ranjan Sahu, Shri Santosh Kumar Saikia, Dr. Nagen

Salve, Shri N. K. P. Sarnantaray, Shri Pravat Kumar

Sanadi Prof I G

Sanadi, Prof. I. G.

Saqhy, Shri T. A. Mohammed Sarang, Shri Kailash Narain Satya Bahin, Shrimati Sen, Shri Ashis Sen, Shri Sukomal Shah, Shri Viren J.

Sharma, Shri Krishan Lal

Sharma, Shri Satish Kumar Shiv Shanker. Shri P.

Sharma, Shri Chandan I

Siddiqui, Shri Abdul Samad

Singh, Shri Digvijay

Singh, Shri K. N.

Singh, Shrimati Pratibha
Singh, shri Ram Awadhesh Singh,

Shri Shankar Dayal

Singh, Shri Surender Singh, Shri Vishvjit P. Sinha. Shrimati Kamla Sivaji, Dr. Yelamanchili Solanki, Shri Gopalsinh G. Solanki, Shri Madhavsinh Som Pal, Shri Sreedharan, Shri Arangil Sushma Swaraj, Shrimati

Constitution

(68f/i Amdt.)

Swell, Shri G. G. Talari Manohar, Shri Thakur, Prof. Chandresh P. Thakur, Shri Rameshwar Thakur, Shri Surendra Singh Tharadevi, Shrimati D. K. Tiria, Kumari Sushila Topden, Shri Karma Trivedi, Shri Dineshbhai Tyagi, Shri Shanti

Upendra, Shri Parvathaneni

Vajpayee, Shri Atal Bihari Veerappan, Shri K. K. Venkatraman, Shri Tindivanam G. Verma, Shri Ashok Nath Verma, Shri Kapil Verma, Shrimati Veena Verma, Shri Virendra Viduthalai Virumbi, Shri S.

Yadav, Shri Ish Dutt Yadav, Shri Ram Naresh Yadav, Shri Ranjan Prasad Yonggam, Shri Nyodek

Noes-NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall not take up clause-by-clause consideration of the Bill,

Clause 2; Amendment of article 338.

SHRI S. S. AHLUWALIA; I move:

"That at page 1 and 2 after the words "Scheduled Tribes" wherever they occur, the words "and Back-ward and

Bill, 196 1990

उपसमापति: अहलवालिया जी बोलिए जरा संक्षेप में बोलिएगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ब्रहस्यासियाः महोदया, यह विधेयक जो भैडयुल कास्ट एंड गेंडयूल टाइब्ज के नाम से लाया गया हैं, मैं इसका पूरा समर्थन करता ह पर सरकार की नीयत में जो थोड़ी गड़बड़ी है व में श्रापको बताना चाहता हूं। वह यह है कि ग्रार्टिकल 338 के तहत जो ∕इस विधेयक में संशोधन लाया जा रह। है, उसके क्लाज (3) में किलयरली यह लिखा हमा है कि:---

Minority Communities" be inserted."

The question was proposed.

"In this article, references to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including references to such other backward classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 340, by order specify and also to the Anglo-Indian community.'

महोदया, म्राटिकल 340 के क्लाज (1) के तहत मंडल कमीशन का नियुक्ति के बारे में कहा गया है। मंडल कमीशन ने जो ग्रपनी रिपोर्ट पेश की हैं तो भारतवर्ष में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब ने ही अपने-अपने मैनि।फेस्टो में कहा है कि मंडल कमेश्वन की रिपोर्ट को जल्दी स जल्दी लाग किया जाएगा। पर दूर्भाग्य इस बात का है कि मंडल कमीणन की रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अभी तक जो बात मंत्री महोदम कह रहे थे, उनमें इस मुल्क जनता के साथ भीर शैडयूल कास्ट और गौडयल टाईका के साथ एक फ्राँड खेला जारहाया।

घट रही हैं वह बड़ें अर्मनाक हैं और अगर साफ़ है तो महोदया जो..... (व्यवधान) इनकी ने यत साफ होती तो जो स्पेशल SHRI V. GOPALSAMY, Chandra Swamy is ये पहले फतहपुर जिले में खोलते । दुखा to Mr. V.P. Singh. इस बात का है कि िस दिन ये फतहपूर गए और वहांसे आकर इन्होंने यह कहा कि सोनमती के साथ कुछ नहीं हुआ है did earlier. (Interruptions). श्रीर पत्रकारों ने उसको गलत रूप में पेश किया है। उस कि सानमती के साथ रेप हम्रा भीर उसको िदा जला दिया गया। वहां वह खुद नहीं गए श्रीर कुछ लोगों को देखि।विजन के सामने खड़ा करके उनके झुटे बधान पेश किए । महोदया, वहां से वापस ग्राति ही 19 तारीख को उनके संडराव गांव में थाना बिबदकी के एरिया में फलट्राम नामक हरि निकी हत्या की गई। उसके दुकड़े-दुकड़े कर दिए गए । उसके 18 दकड़े करके रास्ते में फेंक दिया गया। और तीन दिन तक उसकी लाग उठाने कोई नहीं ग्राया ग्रीर उसको मारने वाला नरपत सिंह जो कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का पोलिंग एजेंट था। वहां स्थों नहीं ग्रीर ग्राज तक उसकी एफ़० ग्राई० आर० रिपोर्ट कोई नहीं लिख रहा है ? थाने मे कोई तैयार नहीं एफ़्रुआई०ग्रार० रिपोर्ट लिखने को । महोदधा में श्रापके माध्यम से महोदया से कहंगा कि थानों में इस ५२ कार्यवाही करवायें और जरापूछें कि यह क्या घटना घटी है। महोदया बात वहीं खत्म हो जाती ता दूसरी बात होती । 27 तारीख को हैबत पूर में हसेन गंज वाने में नरेश और गुड़ी गुड़ी पर वहां के सर्वण जाति के लोगों ने हमला किया ग्रीर उसको एक चौपाल ने लेग्ये उसको रेप करने के लिये। जब वह चिल्लायी तो उसका आदमी नरेश उसको बचाने के लिये ब्रावा तो उसको वहां के सर्वण जाति के लोगों ने गोली मार दी । महोधया अगर इतनी ही नीयत साफ़ है तो स्पेशल कोर्ट फ़तहपूर में क्यों नहीं बैठायी गयी ? स्पेशल कोर्ट फ़तहपुर के इन हरिजनों की सहायता करने वालों के खिलाफ़ क्यों नहीं कैठायी गयी? अगर इतनी हो साफ़ है तो वहां के वीकर सैक्शंस के अधिकारों को बचाने के लिये

को एरिया

क्यों

फतहपूर

Constitution

(68th Amdt.)

महोदया, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह डिक्लियर किया ? सेंसटिव डिस्ट्रिक्ट क्यों की अपनी सांस्टेंटपएंसी में जो घटनाएं नहीं डिक्लेयर किया ? अगर नीयत इसनी ही

कार्ट इन्होंने खाली है, वह स्पैशल कोर्ट doing this in Fatehpur only to bring a bad name

SHRI H. HANUMANTHAPPA: As you

THE DEPUTY CHAIRMAN: No cross-talk please.

थी सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहसुदालिया महोदया, में आपको बतलाना जाहता हूं कि आर्टिकल 358 जब से यह संविधान बना है उसके संशोधन नहीं हुआ, मैं स्वीकार करता हूं। किंतु श्रांज पहली बार उसके तहत सँशोधन हो रहा है तो मंडल कमीशन को रिपोर्ट की रिक**मंडेशंस** के तहत इसके वैकवर्ड कम्युनिटीज को भी जोड़ा जा सकता था, जिसकी नहीं जोड़ा गया, ग्रीर जान बृक्षकर नहीं जोड़ा गया। क्यों नहीं जोड़ा गया । क्योंकि **इनको** खतरा है अपने उप-प्रधान मंत्री से जिन्होंने गोपन चेलेंज किया है राम विलास पासवान जी को ब्रौर कहा है कि मंडल कमी**शन** की रिपोर्ट में भीर वैकवर्ड की लिस्ट में जब तक जाटों का नाम बेकवर्ड लिस्ट में नहीं चढ़ता तक तक श्रगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया गथा तो वह सरकार को गिरा देंगे। इस डर से योज तक यह हिम्मत नहीं कर सके । महोदया, यह बैककार्ड कम्यानिटी के साथ-साथ . . . (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) 🖡 श्रीर घापने क्यों नहीं कर दिया था.... (व्यवधान)

थी सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुदालिया : श्राप ग्रपनी बात करो । श्राप श्रपनी **नीयत** की दुहाई देते रही....(व्यवधान) महोदया, उसके बाद मैं कहना चाहता हं कि इस आर्टिकल-338 के क्लॉज-3 में लास्ट वर्ड एंग्लो इंडियन ग्रांता है। जिस वन्त यह संविधान बना था उस वक्त हमारे

श्री सुरैन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालाय]
संविद्यान के तहत सिर्फ़ एंग्लो इंडियन को
हो साउनोरिटो कम्युनिटीज में आईडेंटिफ़ाई
किया जाता था और उस वका मुसलनानों
को या सिखां को या जैनियों को या
बुढिस्ठों को मायनोरिटी कम्युनिटी ने नहीं
गिना जाता था और सिर्फ़ इसीलिये इसमें
पूरी विताब में मायनोरिटी कम्युनिटी के
हिसाब से एंग्लो इंडियन को लगाया गया
था और अब यह नीयत क्यों खराब
हुई ? इनको इर है बी०जे०पी० से जो
इनकी एक बैसाखी है और जिसने अपने
मैनिफ़ैस्टो में कलीयरली कहा है कि:

"The B.J.P, will widen the scope of present Minorities Commission and convert it into Human Rights Commission to take care of the just rights of all individuals, groups and communities, not for minority communities"

यह मायनोरिटी कम्युनिटी का एक नया इंटरपीटेशन उन्होंने किया है और मायनोरिटो कम्युनिटीज को यह हटाना चाहते हैं और उनके अधिकार छीन लेना चाहते हैं। महोदया, इस श्राटकिल-338 के तहत यह बगर चाहते, अगर इनकी नीं भव साफ़ होती तो आज इह विधेयक के साथ यह बैंकवार्ड कम्यनिटीज को भी लाते और मायनोरिटी कम्यनिटीज को भी लाते । ब्राज किसी भी मुजलमान से, ब्रोर किसी भी सिछ से, किसी भी मायनोरिटी कम्बनिटी के सदस्य से पूछी छाती पर हाथ धरकर कि सब आधकार चाहता है या नहीं आहता है, संदिशान के तड़त चाहता है या नहीं चाहता है। वह घाहता है, ५र इनकी नीयत साफ नहीं क्रोर यह नीयत साफ़ न होने का कारण बार-बार महात्मा गांधी को भूलाकर, **बिनोरा भावे को भुलाकर, जबप्रकाश** नारायण को भूलाकर यह बाबा साहब श्रम्बेडकर का नाम लेकर के चला रहे हैं इस मुक्त के लोगों को ग्रीर कांग्रेस पार्टी कों। महोदया, श्रापके माध्यम से मैं मंत्री महीदय को बलाना चाहता है दि यह कावा साहब अम्बेङकर और यह कांन्रेस पार्टी की क्षेपा से श्रीज यहां पर मंत्री हैं।

और यह संसद सदस्य बनकर शैडयल्ड काम्ट कंस्टीट्यंसी से इलैक्ट होकर प्राये हैं। यह ज़ैडयल्ड कास्ट कंस्टीटयएंसी से इलेंक्ट होकर क्रीये हैं । ब्राप इनसे अहिये कि यह जनरल कंस्टीट्युएंसी से इलेक्ट हो कर प्रायों । कांग्रेस पार्टी में ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने डिलिमिटेशन एक्ट पास किया हमा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह नियम बनाया था, यह ढांचा बनायाथा। (ध्यवधान) डा० अम्बेडकर को कर्स्टीट्युशन इापरिंग कमेरी का चेदरमन बनाने बाला कीत था ? पालियामेंट के परिसर के ग्रंदर 10 टन की प्रतिमा डा॰ बाबासाहेब अस्बेडकर की लगायी गयी है वह क्या राम विलास पासदान ने लगायी है ? (व्यवधान)

उपसभापति हो गया है, बठ जाइये।

श्री सुरेन्द्र जीत तिह श्रह्लुवाियाः में खत्म कर रहा हूं। इस सरकार के श्राने के बाद इन्होंने सेन्ट्रज हाल में जो बाबा साहेब की तस्वीर ग्रांगी है उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। में इंज्जत करता हूं बाबा साहेब की। दुख उस बदत होता है जिल बक्त संसद समाचार टीव्बीव पर देखता हूं। उस समय जब संसद को दिखाया जाता है तो बाबा साहेब की तस्वीर दिखानी क्यों बंद कर दिया है। सिक्तार है इनको। (व्यवधान) यावा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर दिखाना क्यों बंद कर दिया।

SHRI JAGESH DESAI; You have stopped it. I charge you.

SHRI V. GOPALSAMY; Why did the Congress fail to unveil the portrait? Why did you fail?

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am talking about the television. You will not understand my point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, your speech is not of a general kind. You are speaking on your amendment only. Please take your seat. I am putting the amendment to vote. (Interruption). Please sit down. You cannot make a speech,

2C2

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह महलुबालिया: भाषके माध्यम से मैं उम्मोद करता हूं इस सरकार से कि वह अपनी वीयत में मुधार लाये... (व्यवधान)

उपसभापति : ग्राप खत्म करिये ।

श्री सुरेश्वजीत सिंह शहलुवालिया में अपके माध्यम से उन्मीद करता हूं इस सरकार से कि जो उनकी नीयत बुशे हैं उसमें वह सुधार लाग्नें। जल्दी से अल्दी बैकवर्ड कमीयन के लिए इसी तरह से कंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन लेते हुए एक शिधेयक लाग्नें। माइनोरिटी कर्मायन भी संविधान के तहत बनाग्नें। यह मैं श्राप के माध्यम से उनसे एश्योरेंस लेता हूं और समझता हूं यह नौजवान साथी राम विलास पासवान ऐसा कांतिकारी कदम उठायेगा। इसीलए मैं श्रपना श्रमेंडमेंट वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या-1, श्रनुमति से, बापस ने सिया गया ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, you have also moved amendments I will allow you to speak only on one amendment. Either you speak... {Interruptions}.

SHRI V. NARAYANASAMY: I have a right to .speak on each and every amendment

THE DEPUTY CHAIRMAN: You make a short speech.

SHRI V. NARAYANASAMY: I do not want to give up my right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Keep quiet. Don't start the confrontation again. You have got two amendments. One is ... (Interruptions')

SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to speak on each and every amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. Why are you in such a hurry? I think you are in a hurry to speak also.

SHRI V. NARAYANASAMY: Ma-dam, you were telling that you would allow me to speak only on one amendment. I have a right to speak on all amendments.

THE DEPUTY CHAIHMAN: I am not saying 'no' to you. Are you going so speak on both of them?

SHRI V. NARAYANASAMY: That is what I am saying.

THE DEPUTY CHAIRMAN: O. K. Go ahead Speak, here for the whole night, I am not bothered. Delay it as much as you want. If you want co be here till 12 o' clock, please go ahead and speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam. I move:

"That at page 1 in para (2) for the words

five other members' the words "eight other members' *be* substituted."

3. "That at page 2, after item (b) the following be inserted, namely:—

(bbb) to take action in appropriate cases on the violation of safeguards provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government.'

(bbbb) to punish the persons if proved, who involved in the violation of safeguards provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the above-said provision for a period of three years and more."

The questions were proposed.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam Deputy Chairman, if this Constitution (Sixty-Eighth) Amendment BUI, 1990 is brought to this House as Ramdban Bill, 1990, it would have

[Shri V. Narayanasamy] been more appropriate because this Government could not accommodate him in the Cabinet and they could not give him any other rightful position in, the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please do not mention the name of a Member of the other House. I request you not to do that.

SHRI V- NARAYANASAMY: He is a Member of the Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It does not matter. Please do not mention the name of a Member of the other House. Please talk about your amendment.

SHRI V. NARAYANASAMY: *I am* not referring to him as a Member of the other House. I am referring to him only in his capacity as the Chairman of the Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Refer to him that way.

SHRI V. NARAYANASAMY: I did not say that he is from Lok Sabha. Why do you say that?

THE DEPUTY CHAIRMAN: As the Chairman of the Commission, he cannot become a Minister. Only as a Member of Parliament, he can become a Minister. I do not want you to refer to that. You refer to him as the Chairman. But don't bring him in as a Minister

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, if you go through the Bill, you will see that thig is only recommendatory in nature. The powers 'given to the Commission are only recommendatory in nature and not mandatory. Now we want that more powers should be given to the Chairman. Our aim is to see that the authorities have the powers to punish a person and not simply make a recommendation to the Government. Even after the reports are laid on the Table, no action is taken by the authorities concerned whether it is the Central Government or the State Government. The Minister

is now canvassing for the cause, Scheduea Castes and Scheduled Tribes, but I would like to know from him whether he agrees for giving more powers to the Commission. Secondly, Madam, I wanted that this should be reclassified as the Scheduled Castes, Schedule^ Tribes Backward Classes and Minorities Commission. The reason is that though the Mandal Commission had submitted its report, no action has yet been taken on its recommendations. theteafter when the Minister, Shri Ram Vilas Paswan went to Madras, he had a discussion with the Chief Minister of Tamil Nadu there and afterwards in a press conference about fifteen days back, he said that this Government would come out clearly, about its decision on the Mandal Commission's •report. Now more than fifteen days have elapsed; the reaction Of this Government on the Mandal Commission's report is not known till date. Madam, Shri Ram Vilas Paswan, the hon. Minister gave a pressrelease. The people of this country been eagerly waiting to know whether this Government will fully implement the Mandal Commission's report or not. In spite of the announcement made by him, he has not taken any steps to implement it. Then thirdly. Madam. about the minorities Under article 338, there is a provision for safeguarding the interests of the minorities also, but the present Minorities Commissin has not been given a statutory status. They have been demanding it for a long time. But the BJP in their manifesto and also the BJP President have been telling that the Minorities Commission should not be given a statutory status. And Apart from that, he went to the extent of saying, and I will quote:

"Mr. Advani recalled that he made a suggestion to the National Integration Council that that the Minorities Commission has been meant for minorities or Scheduled Castes is misleading and encourages divi-siveness."

a statement by Madam, such the Pre sident of the BJP that if а statutory status given Minorities Commission and also Scheduled Castes Commission, it will create a division among the communities has created a wrong impression in the minds of the people. I do not know if the statutory status is given to the Commission, how it will create a division in this country. Therefore, Madam, I want that the interests of the three communities who are Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes including minorities should safeguarded and I also want that the Bill is to be re'classi-fied as a Bill for the Scheduled Castes, Tribes, Backward Classes and Minorities Commission, The Minister says that he will come forward with another Bill for the backward classes and to protect the interests of the minorities,

H_e has said about the Mandal Commission's report that he would come with another Bill. Madam, with these observations, I withdraw the amendment. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, you are withdrawing your amendment?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam.

(2) The • amendment (No. 2) was, by leave withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are speaking on the other amendment?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam. I have withdrawn my second amendment and I am pressing my third amendment. I want that the Commission which has not been given mandatory powers should be vested with mandatory powers. Therefore, I am pressing my amendment. But I am pressing only the first part of my amendment.

उपसभापति : श्राप मान रहे हैं इनके श्रमेंटमेंट को ?

श्री रामविलास पासवान : मैं सिर्फ़ ब्रार्डर कर रहा हूं। मेरा माननीय सदस्य

से सिर्फ़ इतना ही अग्रह हैं कि और जैसा कि मैंने कहा कमीशन कमीशन होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इसमें इनका इंटेशन बुरा नहीं है ग्रीर नंसुझाव बुरा है। इतना इतना कहना है तथा श्रीर माननीय सदस्यों का यही है कि कमीशन जो रेकमंडेशन करेगा तो क्या वह बाइडिंग होगा कि नहीं होगा । यह बाइगिंग हे संबंध में है । मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी कमीशन को ाप देखें कि कमीशन को इतने ही श्रधिकार दिये जाते हैं, पादर दी जाती हैं, इन्ट्रोगेशन करते की और एक्जामिन तरने की न कि सारो पावर दी जाती है। इसलिये मैं समझ हं कि इसको यहां रखने की जरूरत नहीं है. रूल्स जब बनाये जायेंगे तो उस समय निकिस्त रूप से इस पर िचार करेंगे । (व्यवधान)..... साल्वे साहब हाप भी जानने हैं कि छगर क्षमि?शन रेकमंड भी करेगा श्रीर फ़िर उसको लागूभी करेगातो मैं समझाह कि यह थोड़ा ठोक नहीं है। श्रापकी भावना से मैं पूर्णरूपेण सहमत हूं। हम स्प्रेण कभी बैठ जायेंगे ग्राँट इस पर चिशार करेंगे कि इसको किस तरह से किया जा सकता है इसलिये माननीय शहस्य से मेरा शाबह है कि वे इसको बापस लेलें।

SHRI V. NARAYANASAMY: Ma dam, I want that the Commission should investigate, monitor and also implement. I do not want it to be a paper tiger only. It should have teeth and the Commission should give protection to the Shceduled Caste people. Today, Madam, lakhs, of people are enjoying the benefits given to the Scheduled Caste people and they are all benamis. This is a great injustice done to them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

3. "That at page 2, after item (to), the following be *inserted*, namely: —

'(bbb) to take action in appropriate cases on violation of safeguards provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the itme being in force or jinder any order of the Government.

[The Deputy Chairman]

(bbb) To punish the persons, if proved, who involved in the violation of safeguards provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the above-said provision for a period of three years and more."

में किसी तरह का समाधान नहीं किया। श्री क्सीलिए हम मजदूर हैं कि हमने पीट संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया a period of three years and more."

The motion, was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we g_0 to the next amendment. Yes, Mr. Jogi, you move your amendment.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Madam, I beg to move.-

"That at page 2, in item (d), after tile *words* "Scheduled Tribes" the following be inserted, namely:—

"and such recommendations shall be binding on the concerning Union/State Governments or Union territory in as much as the recommendations are not repugnant to the spirit and provisions of the Constitution and therefore, the Government shall be bound to implement it."

The question was proposed.

श्री ग्रजीत जोगीः उप सभाति जें। धाज चवः के दीरान सदन में मैंने इस अभिनियापर बहासी बती कही थी। ऐसी हाशा था क्यों कि मंत्री महोदय *ि*न बातों को जायज मान रहे हैं. सही मान रहे हैं. इ.जिये उनके जिये में अहर अधिनियम में प्राक्षान करने के लिये तैथार हो जायेंगे। मंत्री महोदय ग्रभी कह रहे हैं कि हम नियमों में इन दातों को शामिलकरेंगे। किन्त् वे यह नहीं कह रहे हैं कि अवश्य ही शःमित कर लिये जःयेंगे । उनका यह कहना है कि नियमों में उन्हें शामिल करने के जिया में जियार किया जायेगा ! मैं उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं जो मैंने सदन के समक्ष रखी हैं क्योंकि इन सब कातों को मैंने फिस्तार से इसके पहले कहा है। मैं यह कहना बाहुंगा कि मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण तो दिया किन्तु जो बातें मैंने

इसके बारे भे लठाई थी. उनके विषय में किसी तरह का समाधान नहीं किया। और ६सीलिए हम मजबूर हैं कि हमने है कि उस पर सदन की राय सें। हमारी जैसी आशा की उसी के बिल्कुल श्रमुरूप यह जो संशोधन िधेयक 68वां त्राप लाए हैं यह अत्यंत ही निराशाजनक है । आपने बहुत प्रचार किया, बहुत बातें कीं, टेलीरिजन पर समाचार पत्नीं में भी तरह तरह से प्रसारित किया. कित् ग्राज जब सदन के समक्ष यह श्रधिनिधम ग्राया है तो बिल्कुल वहीं स्यिति बनी हुई है कि हमने खोदा पहाड़ पर निकली उसने से चुहिया । इस अधिनियम के माध्यम से आप राष्ट्र के इन करोहों लोगों को कुछ दे नहीं रहे हैं, जो कुछ उनके एस था उसमें किसी बात का इ फ़्रा नहीं हो रहा है के उल अंतर यह है कि पहले कमिश्नर आज शैड्युल्ड कास्टस एण्ड मेंड्यूल्ड ट्राइब्स खा० बी०डी० शर्मा बैठे हुए थे, अब आपने एमीशन बना दिना है तो ग्रादरणीय श्री रामधन जी ग्रीर उनके साथी वहां बैठेंगे । क्रादिशसियों और अनुसूचित के लोगों की परिस्थित में उनकी सामाजिक और आधिक स्थिति में किसी प्रकार का बरिह्य की अधिनियम से नहीं होगा । यह हमारीं स्पष्ट मान्यता । ग्रभी तक इस सदन के सामने रिपोर्ट रखी जाती थीं, अबर आप िधान सभाकों के सामने रिपोर्ट रख हेंगे । 38 रिपोर्टे इस सदन के सामने रखी जा चुकी हैं, उन 38 रिपोटों में हजारों ब्रनुशंसाएं श्रीर सिक्षारिशें इस सदन के सामने रखी जा चुकी हैं, उन पर कोई कार्य गही नहीं हुई । इस सदन की ग्रीर दूसरे संदन की अनुसूचित जातियों और श्रनसुचित जनजातियों की कमेटियां हैं, उनकी सैंकड़ों सिफ़ारिणें सदन के सामने ग्राई हैं, उन पर कोई भ्रमल नहीं हुआ है। यदि यह ग्रधिनियम इस रूप में जिस रूप मैं ज्ञाप लाएं हैं उसी रूप में पारित हो जाता है तो इस स्थिति में किसी प्रकार का कोई भी यरिवर्तन नहीं होगा । ग्राप वैसे ग्रिधिकार इस कमीशन को नहीं दे रहे हैं जिससे यह कमीणन सक्षम हो

तरह अहर इन कराड़ा लागा को किसी की राहर्स दे सके । श्राय यह कह रहे हैं कि दूसरे जो अमीशन बनते हैं उनमें कभी इस तरह के अधिकार नहीं देते । इसरे कमीशन जिनके लिए बनते हैं और जिनके लिए यह कमीशन बना है उसकी तूलना ग्राप नहीं कर सकते हैं। यह उन लोगों का सवाल नहीं है जिनके पास सब कुछ है। यह उन 41 लाख लोगों का संदाल है जो ग्राज भी अपने सिर पर मैला हो रहे हैं। यह उन 41 लाख में ज्यादा लोगों का सवाल है जिन पर ब्राप की रिपोर्ट के प्रनुसार हर वर्ष एट्रोसिटीज होती है। यह उन लोगों का सवाल है, यह बस्तर क उन क्रादियासियों ग्रीर ्रगिरिजनों का सकाल है जिनमें ग्राज भी शिक्षा का प्रतिकत 5 से अधिक है (भ्यवधान) तो श्रापको संशोधन िधेयक द्वारा कमीशन को और ब्रधिक ब्रधिकार देने होंगे इसीलिए मैंने वह संगोधन प्रस्त्त किया है जिसके अनसार में चाहता है कि जो भी श्रन्शसाय, जो की सिफारिशें यह कमीशन करेगा के केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारी या संबंधित यनियम टेरीटरीज, इन तीनों से संबंधित अधिकारियों के लिये बंधनकारक होगी और उन पर इनको पालन करना ही होगा। मैं सदन से निवेदन करता हं कि यदि बास्तव में चाहते हैं कि इन वर्गी का भला हो यदि वास्तव में चाहते हैं कि इस कमीशन के माध्यम से इन करोड़ों लोगों को कोई राहत मिले तो हमें यह अधिकार उसको देना चाहिये। अपया मेरे इस संशोधन को अजन्म पारित करें । धन्यबाद ।

Constitution

(68th Amdt.)

THE DEPUTY CHAIRMAN; I shall put Amendment No. 4 to vote.

Amendment No. 4 was negatived.

H. HANUMANTHAPPA: Madam, I move-

- 5. "That at page 2 *after* item te) following be inserted, namely:-
- "(f) To recommend for taking suitable disciplinary action against the official or officer or person who was found quilty of violation of the Presidential directives and will

fully neglected or acted against the safeguards prvoided for protection, welfare and socio-economic develpment of Scheduled Gafites and Scheduled Tribes."

- 7. "That at page 2 after (7) the following be inserted, namely:--
 - "(8) Where any such recommendation for disciplinary action relates to Central Government/ State Governments, public undertakings, cooperatives 6r other institutions or administrations, authority should proceed with taking action and report back to the Commission the conlplidtnte.'
- 6. That at page 2 offer para (7) in item (c) for the brackets and figure '(8)" the brackets and figure "(H)" be substituted.'

The question was proposed.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, before I speak on my amendments I want to say one sentence about the remarks made by the Minister in his reply. He said if Jawaharlal]! &ad been there, he would not have walked out while passing the Bill.

The day before yesterday, our walkout was not on the Bill but for sdmie other reason. Our party did not Watt-out on the voting of the Bill, in pawing the Constitution (Amendment)

Coming back to this amendment, Madam, the Minister has agreed;

I have noted it. I have taken him to be hundred per cent correct. So this special amendment has been brought to give more powers to the Cornmmis-sion so that it can be effective. . A.. gentleman who is committed to the cause of Scheduled Caistes and Sche-duled Tribes, being the Chairman, lir. Ranadhan will make only such reco-commendations which can be followed and wlflcli will be within the rules. So my amendment is to recommend

for taking suitable disciplinary action against the official or officer or person who was found guilty of violating the Presidential directives and wilfully-neglected or acted against tha safeguards provided for protection, welfare and socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Minister, while accepting the spirit, says in other Commissions we have not included this provision and so we need not include it in the Act but let it be in the Rules. That is the argument. But my point is that like other Commissions this Commission may also sleep over the matter, If you cannot make a similar law, tomorrow you may also have similar complaints that this Commission also could not do anything because the provisions are not in the Act.

I request the hon. Minister to accept to make it more effective, more meaningful.

If you want to give something.

जैसा उन्होंने कहा कि नीयन साफ़ है। 'ग्रगर नीवत साफ़ हो, तो थोडा सा प्रश्चिकार कमोशन को देना चाहिये। चितने पहले आरे कमीशन थे, वह इसलिये काम नहीं कर सके कि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी।

ग्रभी राम जिलास पासवान निश्म पास करका रहे हैं, उस बाद भी हम लोगों को मौड़ा न ग्रायें ग्रौर राम विल स पासवान जी को हम लोग प्रामे शिकायत न करें, इसीलिये मैं इस अमेंडमेंट में आ रहा हं। इसको यह स्वीकार करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात श्रीर जोड़ना चाहता हूं । सेंटीनरी थिश्रर बाबा साहब का, इतना महत्व हम दे रहे हैं और दूरदर्शन में जो उसकी बन्द किया गया है, उँसे पालियामेंट न्यूज में, त्राव रेन्यु कर दिया जाय । इतने साल हर रोज पालियामेंट न्युज में हम हर रोज बाबा साहब को दिखाते थे ग्रीर ग्रव उसको सरकार ने वाबा साहव सेंटीनरी में बन्द कर दिया है। यह ठीक नहीं है । ग्राप उसको ठीक करवाइये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing the amendment?

SHRI H. . HANUMANTHAPPA: The Minister has stood up to say something.

Bill,

श्री राम बिहास पापवान : हम सिर्फ़ इतना ही माननीय सदस्य का ध्यान दिला रहे थे कि जो हन्मनतप्पा ने कहा है, वह 5(डी) में है कि इस कमीशन की पावर रहेगी:

"to make in such reports, recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the implementation of safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes '

श्रीर उसके बाद यह देखें, तो 8(क) है. उसमें इसमें जो कर्तव्य, काम शक्तियां, दी गई हैं, उसमें साफ़ लिखा है कि रे:

- (क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना, तथा अपथ पर उसकी परोक्षा
- (ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण ग्रीर पेश किया जाना.
- (ग) शपथ पत पर साध्य करना.
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति-ग्रध्यपेक्षा करना,
- (इ.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,
- (च) कोई भ्रन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

तो यह जो पावर है, यह बहुत बड़ी पावर है। तो इसलिए मैंने कहा कि श्रापकी भावना की बड़ी कद्र करता हूं। उसमें कहीं कोई हम में और श्राप में दो बात नहीं हैं ग्रीर मैं माननीय सदस्य का श्क्रगुजार हुं कि उन्होंने उसे वापिस कर

उपसभापति : नहीं, वापिस नहीं । I am putting Amendments No. 5,7 and 8 to

The amendments (Nos. 97 and 8) were neyatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment No. 9 by Shri Satya Prakash Malaviya.

भी सत्य प्रकाश मालकीय जी, आप अमेंड-मेंट नं 9 वापिस ते रहे हैं।

भी सत्य प्रकाश मासवीय: ग्रभी मैं जरा असी बात कह लू । संविधान के भनुन्छेद 338 में स्पेशन ग्राफिसर का प्रावधान था ...

I beg to move:

"That at page 1, in the last line *after* the words 'hand and seal' the words "and the Chairperson and Vice-Chairperson shall be given the rank of Cabinet Ministers and other members shall be given the rank of State Minister".

The question was proposed.

श्री सस्य प्रकाश मानवीय : श्रीर अब जा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति श्रीर अनुसूचित जाति श्रीर अनुसूचित जाति श्रीर अनुसूचित जन-जाति श्रायोग बनाया गया है, इस में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि बाद में संसद चाहे तो कानून बनाएगीं श्रीर जैसाकि मंत्रीजी ने श्रभी कहा कि राष्ट्रपति जी नियम भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने एक सुझाव दिया है

"Chairperson and Vice-Chairperson shall be given the rank of Cabinet Ministers, and other Members shall be given the rank of State Ministers,"

मेरा सुझाव यह है कि जो जन-जाति श्रायोग वना रहा है, ग्राप उन को संवैद्यानिक दर्जा दे रहे हैं तो कम-ते-कम जो इनके श्रध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उन की मंत्री स्तर का श्रीर राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाना चाहिए। मंत्रीजी का शुरू में जो भाषण हुग्रा, उस में उन्होंने इस बातका संकेत दिया या कि जो बाद में एल बनेंगे, जो सर्विस कंडोशन होंगी—उसके हिसाब से इस ग्रायोग के जो श्रध्यक्ष होंगे उन को केंबिनेंट मंत्री स्तर

का दर्जा दिया जाएगा। जो उपाध्यक्ष होंगे, उन को राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जा सदस्य हैं उन को कोई भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है।

उपसमापति : ग्राप प्रेस कर रहे हैं या विदड़ा कर रहे हैं ? हैं

श्री सः**य प्रकाश मालवीय** मंत्री जी का उत्तर सुन लूं। मेरा निबंदन है कि जो तीन सदस्य हैं, उन को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए।

श्री राम विसास पासवान : उपसभा-पित महोदय, मैं ने बतलाया कि दिया नहीं जा रहा है, दे दिया है। जो उसके श्रध्यक्ष हैं उनको कैंबिनेट का, जो उपाध्यक्ष हैं, उन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। जो पांच सदस्य हैं, तो जब उन को कैंबिनेट श्रीर स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है तो सदस्यों को भी बिना पावर के नहीं रखा जाएगा। स्था पावर दिया जाएगा, उसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा।

उपसमापतिः ग्राप विदेषा क^र रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय में समझता हूं कि मेरी भावनाश्री को मंत्री जी समझ गए हैं।

Amendment No. 9 was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN; I shall now put clause 2 to vote. The question is-

"That clause 2 stand part of the Bill.""

The House divided .,

THE DEPUTY CHAIRMAN;

Ayes ___ 191 Noes Nil [RAJYA SABHA]

Bill, 1990 216

AYES—191

Afzal, Shri Mohammad Agarwal, Shri Lakkhiram Agarwal, Shri Ramdas Ahluwalia, Shri S, S.

Alia, Kumari

Alva, Shrimati Margaret Amin, Shri Mohammed Amla, Shri Tirath Ram Amrita Pritam, Shrimati Ansari, Shri Mohammed Amin Ashwani Kumar, Shri Azad, Shri Ghulam Nabi

Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Baby, Shri M. A. Bagrodi, Shri Santosh Bakht, Shri Sikander Balanandan, Shri E. Balram, Shri N. E. Barongpa, Shri Sushil Basumatary, Shri Amritlai Basu Ray. Shri Sunil Bekal Utsahi, Shri

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant

Bhardwaj, Shri Hansraj Bhatia, Shri Madan

Beniwal, Shrimati Vidya

Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker Bhattacharjee, Prof. Sourendra

Biswas, Shri Debabrata

Buragohain, Shri

Bhadreswar Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chanpuria, Shri Shivprasad Chaudhary, Harmohan Singh Chaudhuri, Shri Tridib Chavan, Shri S. B. Chowdhary, Ram Sewak Chowdhry, Hari Singh Chowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira

Dave, Shri Anantray Devshanker Deepak, Shri Krishan Kumar

Desai, Shri Jagesh Dhawan, Shri R, K Faguni Ram, Dr, Fernandes. Shri John F. Fotedar, Shri Makhan Lal

Gaj Singh, Shri

Gandhi, Shri Raj Mohan

Ganesan, Shri R, alias Misa R. Ganesan

Gautam, Shri Sangh Priya Ghosh, Shri Dipen Gopalsamy, Shri V,

Goswami, Shri Dinesh

Goswami, shri Ramnarayan

Gurupadaswamy, Shri IM, S.

Hanspal, Shri Harvendra Singh

Hanumanthappa, Shri H.

Hariprasad, Shri B. K.

Hashmi, Shri Shamim

Jagmohan, Shri

Jacob, Shri M. M,

Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao

Jain, Dr. Jinendra Kumar

Jaiswal, Shri Anant Ram

Jani, Shri Jagadish Javali, Shri J P.

Jogi, Shri Ajit P. K.

Kailashpati, Shrimati

Kakodkar,, Shri Purushottam

Kalita. Shri Bhubaneswar

Kalmadi, Shri Suresh

Kalvala, Shri Prabhakar Rao

Kar, Shri Narayan

Kenia, Kumari Chandrika Premji

Kesri, Shri Sitaram Khan, Dr. Abrar Ahmed Khaparde, Miss Saroj

Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha..

Kore, Shri Prabhakar B Kotaiah Pragada, Shri Krishnan, Shri G. Y. Kunjachen, Shri P. K. Lather, Shri Mohinder Singh

Ledger Shri David

Lenka, Shri Kahnu Charan

Lotha, Shri Khyomo

Madhavan, Shri S,

Madni. Shri Maulana Asad Mahendra Prasad, Shri

Maheshwari, Shrimati Sarala . Maheswarappa, Shri K. G. Malaviya, Shri Radhakrishan

Malaviya, Shri Satya Prakash Maran, Shri Murasoli

Masodkar, Shri Bhaskar Annaji Mathur, Shri Jagdish Prasad

Md. Salim, Shri

Mehta, Shri Chimanbhai Menon, Prof. M. G. K. (Mishra, Shri Shiv Pratap Mohammad Yunus, Shri

Mohanty, Shri Sarada Mohapatra, Shri Basudeb Morarka, Shri Kamal Mukherjee, Shri Samar Naik, Shri G. Swamy

Nallasivan, Shri A. Narayanasamy, Shri V. Pachouri, Shri Suresh

Naik, Shri R. S.

Padmanabham, Shri Mentay

Palaniyandi, Shri M.

Pande, Shri Bishambhar Nath Pandey, Shrimati Manorama

Pandey, Dr. Ratnakar Panwar, Shri B. L. Parmar, Shri Rajubhai A. Paswan, Shri Kameshwar Patel, Shri Chhotubhai Patel, Shri Vithalbhai M. Patil, Shrimati Suryakanta

Patil, Shri Visrtvwasrao Ramrao

Pugila, Shri Naresh C. Rafique Alam, Shri

Rahman, Shri Mohd. Khaleelur Rai, Shri Ratna Bahadur Raja

Ramanna, Dr. Raju, Shri J.S.

Ramachandran, Shri S. K. T-Rao, Shri Moturu Hanumantha Ratan Kumari, Shrimati Rathwa, Shri Ramsinh Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan Reddy, Dr. Narreddy Thulasi

Reddy, Shri S. Jaipal

Reddy, Shri T. Chandrasekhar

Sahay, Shri Dayanand Sahu, Shri Rajni Ranjan Sahu, Shri Santosh Kumar

Saikia, Dr. Nagen Salve, Shri N. K. P.

Sarnantaray, Shri Pravat Kumar

Sanadi, Prof. I. G.

Saqhy, Shri T. A. Mohammed Sarang, Shri Kailash Narain Satya Bahin, Shrimati

Sen. Shri Ashis Sen, Shri Sukomal Shah, Shri Viren J. Sharma, Shri Chandan Sharma, Shri Krishan Lal Sharma, Shri Satish Kumar Shiv Shanker, Shri P. Siddiqui, Shri Abdul

Samad Singh, Shri Digvijay. J

Singh, Shri K. N. i Singh, Shrimati Pratibha singh, Shri Ram Awadhesh Singh, Shri Shankar Dayal i Singh, Shri Surender Singh. Shri Vishvjit P. Sinha, Shrimati Kamla Sivaji, Dr. Yelamanchili

Solanki, Shri Gopalsinh G. Solanki. Shri Madhavsinh

Som Pal, Shri

Sreedharan, Shri Arangil

Sushma

Swaraj, Shrimati Swell, Shri G. G.

Talari, Manohar, Shri

Thakur, Prof. Chandresh P. Thakur, Shri Rameshwar Thakur, Shri Surendra Singh Tharadevi, Shrimati D. K.

Tiria. Kumari Sushila Topden, Shri Karma Trivedi. Shri Dineshbhai Tyagi, Shri Shanti

Uoendra, Shri Parvathaneni Vajpayee, Shri Atal Bihari

Veerappan, Shri K. K.

Venkataraman, Shri Tindivanam S.

Verma, Shri Ashok Nath

Verma, Shri Kapil i Verma, Shrimati

Veena Verma. Shri Virendra

Viduthalai Virumbi, Shri S.

Bill, 1990

220

Yadav, Shri Ish Dutt

Yadav, Shri Ram Naresh

Yadav, Shri Ranjan Prasad

Yonggum, Shri Nyodek]

[NOES—Nil]

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. Clause, 2 was added to the Bill. THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now but clause 1, the Enacting Formula and the Title to vote. The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The House divided, THE DEPUTY

CHAIRMAN;

Ayes 191 Noes Nil

[AYES—191

Afzal, Shri Mohammad

Agarwal, Shri Lakkhiram

Agarwal, Shri Ramdas

Ahluwalia, Shri S. S.

Alia, Kumari

Alva, Shrimati Margaret

Amin. Shri Mohammed

Amla, Shri Tirath Ram

Amrita Pritam, Shrimati

Ansari, Shri Mohammed Amin

Ashwani Kumar, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi

Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Baby, Shri M. A.

Bagrodia, Shri Santosh

Bakht, Shri Sikander

Balanandan, Shri E .

Balaram, Shri N. E.

Barongpa, Shri Sushil

Basumatary, Shri Amritlal

Basu Ray, Shri Sunil

Bekal Utsahi, Shri

Beniwal, Shrimati Vidya

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant

Bhardwaj, Shri Hansraj

Bhatia, Shri Madan

Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker

Bhattacharjee, Prof. Sourendra

Biswas, Shri Debabrata

Buragohain, Shri Bhadreswar

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chanpuria, Shri Shivprasad

Chaudhary, Harmohan Singh

Chaudhuri, Shri Tridib

Chavan, Shri S. B.

Chowdhary, Ram Sewak

Chowdhry Hari Singh

Chowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira

Dave, Shri Anantray Devshanker

Deepak, Shri Krishan Kumar

Desai, Shri Jagesh

Dhawan, Shri R. K.

Faguni Ram, Dr.

Fernandes, Shri John F.

Fotedar, Shri Makhan Lal

Gaj Singh, Shri

Gandhi, Shri Raj Mohan

Ganesan, Shri R. alias Misa R. Ganesan

Gautam, Shri Sangh Priya

Ghosh, Shri Dipen

Gopalsamy, Shri V.

Goswami, Shri Dinesh

Goswami, Shri Ramnarayan

Gurupadaswamy, Shri M. S.

Hanspal, Shri Harvendra Singh

Hanumanthappa, Shri H.

Hariprasad, Shri B. K.

Hashmi, Shri Shamim

Jacob, Shri M. M.

Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao

Jagmohan, Shri

Jain, Dr. Jinendra Kumar

Jaiswal, Shri Anant Ram

Jani, Shri Jagadish

Javali, Shri J. P,

Bill.

Jogi, Shri Ajit P. K. Kailashpati, Shrimati Kakodkar, Shri Purushottam Kalita, Shri Bhubaneswar Kalmadi, Shri Suresh Kalvala, Shri Prabhakar Rao Kar, Shri Narayan Kenia, Kumari Chandrika Premji Kesri, Shri Sitaram Khan, Dr. Abrar Ahmed Khaparde, Miss Saroj Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha. Kore. Shri Prabhakar B. Kotaiah Pragada, Shri Krishnan, Shri G. Y. Kunjachen, Shri P. K. Lather, Shri Mohinder Singh Ledger, Shri David Lenka, Shri Kahnu Charan Lotha, Shri Khyomo Madhavan, Shri S. Madni, Shri Maulana Asad Mahendra Prasad, Shri Maheswari, Shrimati Sarala Maheswarappa, Shri K. G. Malaviya, Shri Radhakishan i Malaviya, Shri Satya Prakash Maran, Shri Murasoli Masodkar, Shri Bhaskar Annaji Mathur, Shri Jagdish Prasad Md. Salim, Shri Mehta, Shri Chimanbhai Menon, Prof. M. G. K Mishra, Shri Shiv Pratap Mohammad Yunus, Shri Mohanty, Shri Sarada Mohapatra, Shri Basudeb Morarka, Shri Kamal Mukherjee, Shri Samar Naik, Shri G. Swamy Naik, Shri R. S. Nallasivan, Shri A.

Narayanasamy, Shri V.

Pachouri, Shri Suresh

1990 Padmanabham, Shri Mentay Palaniyandi, Shri M. Pande, Shri Bishambhar Nath Pandey, Shrimati Manorama Pandey, Dr. Ratnakar Panwar, Shri B. L. Parmar, Shri Rajubhai A. Paswan, Shri Kameshwar Patel, Shri Chhotubhai Patel, Shri Vithalbhai M. Patil, Shrimati SuryaKanta Patil, Shri Vishwasrao Ramrao Puglia, Shri Naresh C. Rafique Alam, Shri Rahman, Shri Mohd. Khaleelur Rai, Shri Ratna Bahadur Raja Ramanna, Dr. Raju, Shri J. S. Ramachandran, Shri S. K. T. Rao, Shri Moturu Hanumantha Ratan Kumari, Shrimati Rathwa, Shri Rarnsinh Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan Reddy, Dr., Narreddy Thulasi Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri T. Chandrasekhar Sahay, Shri Dayanand Sahu, Shri Rajni Ranjan Sahu, Shri Santosh Kumar Saikia, Dr. Nagen Salve, Shri N. K. P. Sarnantaray, Shri Pravat Kumar Sanadi, Prof. I. G. Saghy, Shri T. A. Mohammed Sarang, Shri Kailash Narain Satya Bahin, Shrimati Sen, Shri Ashis Sen, Shri Sukomal Shah, Shri Viren J. Sharma, Shri Chandan Sharma, Shri Krishan Lal Sharma, Shri Satish Kumar Shiv Shanker, Shri P. Siddiqui, Shri Abdul Samad

Bill, 1990

224

Singh, Shri Digvijay

Singh, Shri K. N.

Singh, Shrimati Pratibha

Singh, Shri Ram Awadhesh

Singh, Shri Shankar Dayal

Singh, Shri Surender

Singh, Shri Vishvjit P.

Sinha, Shrimati Kamla

Sivaji, Dr. Yelamanchili

Solanki, Shri Gopalsinh G.

Solanki Shri Madhavsinh

Som Pal, Shri

Sreedharan, Shri Arangil

Sushma Swaraj, Shrimati

Swell, Shri G. G.

Talari Manohar, Shri

Thakur, Prof. Chandresh P.

Thakur, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Surendra Singh

Tharadevi, Shrimati D. K.

Tiria, Kumari Sushila

Topden, Shri Karma

Trivedi, Shri Dineshbhai

Tyagi, Shri Shanti

Upendra, Shri Parvathaneni

Vajpayee, Shri Atal Bihari

Veerappan, Shri K. K.

Venkatraman, Shri Tindivanam G.

Verma, Shri Ashok Nath

Verma, Shri Kapil

Verma, Shrimati Veena

Verma, Shri Virendra Viduthalai

Virumbi, shri S.

Yadav, Shri Ish Duttt

Ydav, Shri Ram Naresh

Yadav, Shri Ranjan Prasad

Yonggam, Shri Nyodek.

[NOES—Nil]

The motion was carried by a majority of the total membership of tht House and by a majority of not lest than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

7 00 P M

SHRI RAM VILAS PASWAN: Madam, I move:

"That the Bill be passed."

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The House divided.

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes 191

Noes Nil

[AYES-191

Afzal. Shri Mohammad

Agrawal. Shri Lakkhiram

Agarwal, Shri Ramdas

Ahluwalia, Shri S. S.

Alia, Kumari

Alva, Shrimati Margaret

Amin, Shri Mohammed

Amla, Shri Tirath Ram

Amrita Pritam, Shrimati

Ansari, Shri Mohammed Amin

Ashwani Kumar, Shri

Azad. Shri Ghulam Nabi

Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Baby, Shri M. A.

Bagrodia, Shri Santosh

Bakht. Shri Sikander

Balandan, Shri K

Balaram, Shri N. E.

Barongpa, Shri Sushil

Basumatary, Shri Amritlal

Basu Ray, Shri Sunil

Bekal Utsahi, Shri

Be.niwal, Shrimati Vidya

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant

Bhardwaj, Shri Hansraj

Bhatia, Shri Madam

Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker

Bhattacharjee, Prof. Sourendra

[31 MAY 1990]

Bill, 226 1990

Biswas, Shri Debabrata

Buragohain, Shri Bhadreshwar

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chanpuria, Shri Shivprasad

Chaudhary Harmohan Singh

Chaudhuri, Shri Tridib

Chavan, Shri S. B.

Chowdhary Ram Sewak

Chowdhry Hari Singh

Chowdhury, Shrimati Renuka

Das, Shrimati Mira

Dave, Shri Anantray Devshanker

Deepak, Shri Krishan Kumar

Desai, Shri Jagesh

Dhawan, Shri R. K.

Faguni Ram, Dr.

Fernandes, Shri John F.

Fotedar, Shri Makhan Lal

Gaj Singh, Shri

Gandhi, Shri Raj Mohan

Ganesan, Shri R. alias Misa R.

Ganesan Gautam, Shri Sangh Priya

Ghosh, Shri Dipen

Gopalsamy, Shri V.

Goswami, Shri Dinesh

Goswami, Shri Ramnarayan

Gurupadaswamy, Shri M. S.

Hanspal, Shri

Harvendra Singh

Hanumanthappa, Shri H.

Hariprassad, Shri B. K.

Hashmi, Shri Shamim

Jacob, Shri M. M.

Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao

Jagmohan, Shri

Jain, Dr. Jinendra Kumar

Jaiswal, Shri Anant Ram

Jani, Shri Jagadish

Javali, Shri J. P.

Jogi, Shri Ajit P. K.

Kailashpati, Shrimati

Kakodkar, Shri Purushottam

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kalmadi, Shri Suresh

Kalvala, Shri Prabhakar Rao

Kar, Shri Naraayn

Kenia, Kumari Chandrika Premji

Kesri, Shri Sitaram

Khan, D-. Abrar Ahmed

Khaparde, Miss Saroj

Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.

Kore, Shri Prabhakar B.

Kotaiah Pragada, Shri

Krishnan, Shri G. Y.

Kunjachen, Shri p. K.

Lather, Shri Mohinder Singh

Ledger, Shri David

Lenka, Shr Kahnu Charan

Lotha, Shrj Khyomo

Madhavan, Shri S.

Madni, Shri Maulana Asad

Mahendra Prasad, Shri

Maheshwari, Shrimati Sarala

Maheswarappa, Shri K G.

Malaviya, Shri Radhakishan

Malaviya, Shri Satya Prakash

Maran, Shri Murasoli

Masodkar, Shri Bhaskar Annaji

Mathur, Shri Jagdish Prasad

Md. Salim, Shri

Mehta, Shri Chimanbhai

Menon, Prof. M. G. K.

Mishra, Shri Shiv Pratap

Mohammad Yunus, Shri

Mohanty, Shri Sarada

Mohapatra, Shri Basudeb

Morarka, Shri Kamal

Mukherjee, Shri Samar

Naik, Shri G. Swamy

Naik, Shri R. S.

Nallasivan, Shri A.

Narayanasamy, Shri V.

Pachouri, Shri Suresh

Padmanabham, Shri Mentay

Palaniyandi, Shri M.

Pande, Shri Bishambhar Nath

Pandey, Shrimati Manorama

Pandey, Dr. Ratnakar

Parmer, Shri B. L. Parmar, Shri Rajubhai A. Paswan, Shri Kameshwar Patel, Shri Chhotubhai Patel, Shri Vithalbhai M. Patil, Shrimati Suryakanta Patil, Shri Vishwas-rao Ramrao Puglia, Shri Naresh C. Rafique Alam, Shri Rahman, Shri Mohd. Khaleelur Rai, Shri Ratna Bahadur Raja Ramanna, Dr. Raju, Shri J. S. Ramachandran, Shri S. K. T. Rao, Shri Moturu Hanumantha Ratan Kumari, Shrimati Rathwa, Shri Ramsinh Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan Reddy, Dr. Narreddy Thulasi Reddy, Shri S. Jaipal Reddy, Shri T. Chandrasekhar I Sahay, Shri Dayanand Sahu, Shri Rajni Ranjan Sahu, Shri Santosh Kumar Saikia, Dr. Nagen Salve, Shri N. K. P. Sarnantaray, Shri Pravat Kumar Sanadi, Prof. I. G. Saghy, Shri T. A. Mohammed Sarang, Shri Kailash Narain Satya Bahin, Shrimati Sen, Shri Ashis Sen. Shri Sukomal Shah, Shri Viren J. Sharma, Shri Chandan Sharma, Shri Krishan Lal Sharma, Shri Satish Kumar Shiv Shanker, Shri P. Siddiqui, Shri Abdul Samad Singh, Shri Digvijay Singh, Shri K. N. Singh, Shrimati Pratibh a Singh, Shri Ram Awadhesh Singh, Shri Shankar Dayal Singh, Shri Surender

Singh, Shri Vishvjit P. Sinha, Shrimati Kamla

Sivaji, Dr. Yelamanchili

Solanki, Shri Gopalsinh G. Solanki, Shri Madhavsinh Som Pal. Shri Sreedharan, Shri Arangil Sushma Swaraj, Shrimati Swell, Shri G. G. Talari Manohar, Shri Thakur, Prof. Chandresh P. Thakur, Shri Rameshwar Thakur, Shri Surendra Singh Tharadevi, Shrimati D. K. Tiria, Kumari Sushila Topden, Shri Karma Trivedi . Shri Dineshbhai Tyagi, Shri Shanti Upendra, Shri Parvathaneni Vajpayee, Shri Atal Bihari Veerappan, Shri K. K. Venkatraman, Shri Tindivanam G. Verma, Shri Ashok Nath Verma, Shri Kapil Verma, Shrimati Veena Verma, Shri Virendra Viduthalai Virumbi, Shri S. Yadav, Shri Ish Dutt Yadav, Shri Ram Naresh Yadav, Shri Ranjan Prasad Nyodek Yonggam]

[NOES—Nil]

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

कुमारी सरोज खापडें मंत्री जी, बहुत-बहुत बचाई श्रापको ।

श्री राम विलास पासवान ः बहुत-बहुत धन्यवाद ग्राप सब लोगों का ।

कुमारी सरोज खापडें : नंती जी, जरा सदन की मुवारकवाद नो दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : मैंने दे दी है। मैंने कहा कि श्रीप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि श्रीपने सर्व-सम्मति से इसे पास कर दिया।